ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए जन योजना अभियान

सबकी योजना सबका विकास

2 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2018 तक

पंचायती राज मंत्राल

एवं

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

विषय – सूची

1.	परिचय	1
2.	अभियान पोर्टल और परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू)	2
3.	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधा प्रदाता	2
4.	ग्राम सभा बैठकों का कैलेंडर	3
5.	विशेष ग्राम सभा और संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की भागीदारी	3
6.	प्रशिक्षण मॉड्यूल	4
7.	जन सूचना प्रदर्शन बोर्ड	4
8.	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना	4
9.	बुनियादी सेवाओं से संबंधित गतिविधियां	4
10.	अनुमोदित योजना का प्रकाशन	4
11.	राष्ट्रीय स्तर मॉनीटर (एनएलएम)	5
	अनुबंधों की सूची	
i.	अनुबंध - I: जन योजना अभियान - एक स्नैपशॉट	6
ii.	अनुबंध - II: सहभागितापूर्ण जीपीडीपी पर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का पत्र .	19
iii.	अनुबंध - III: अभियान के लिए गतिविधि कैलेंडर	22
iv.	अनुबंध - IV: ग्राम पंचायतों की रैंकिंग के लिए सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के पत्र	23
v.	अनुबंध - V: सुविधा प्रदाता की रिपोर्ट	32
vi.	अनुबंध - VI: जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के संचालन के लिए मॉडल अनुसूची	34
vii.	अनुबंध - VII: ग्रामसभा के दौरान अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों / संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुति की मॉडल संरचना	37
iii.	अनुबंध VIII: वीओ / एसएचजी द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए गरीबी उन्मूलन योजना की प्रस्तुति के लिए	38
ix.	अनुबंध - IX (क): जन सूचना बोर्ड का व्याख्यात्मक चित्रण	41
x.	अनुबंध - IX (ख): जन सूचना बोर्ड का व्याख्यात्मक चित्रण	42
xi.	अनुबंध - X: ग्राम पंचायत विकास योजना पर स्नैपशॉट	44
xii.	अनुबंध - XI: ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मॉडल प्रारूप	55

1. परिचय

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य किया गया है ।इस जीपीडीपी योजना की प्रक्रिया को व्यापक और सहभागिता प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण अभिसरण शामिल है ।ग्रामीण भारत को परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन योजना अभियान की शुरूआत 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 तक 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में की जाएगी। अभियान के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। जन योजना अभियान पर एक स्नैपशॉट **अनुबंध - I में** दिया गया है। सभी राज्यों को अभियान (**अनुबंध - II) के** बारे में सूचित कर दिया गया है और उनके सहयोग की अपेक्षा की गई है।

जीपीडीपी अभियान पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और राज्य के संबंधित विभागों के बीच अभिसरण

□□ □□□□□ □□□□□□ : □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

- वेब पोर्टल (www.gpdp.nic.in) पर अभियान और पंजीकरण के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति और ग्राम पंचायतों (मिशन अंत्योदय) का सर्वेक्षण
- प्रत्येक ग्राम पंचायत / ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सुविधा प्रदाता की नियुक्ति
- **सुविधा प्रदाताओं का प्रशिक्षण**
- ग्राम सभा के आयोजन के लिए **ग्राम सभावार कैलेंडर** को अंतिम रूप देना
- नामित दिनों पर ग्राम सभा की बैठकों में संरचित प्रस्तुति के लिए 29 **विषयों से संबंधित सभी विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति**
- जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में **सार्वजनिक सूचना बोर्ड का** प्रदर्शन और वेब पोर्टल पर इसकी जियोटैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना
- चल रही **ग्रामसभा की बैठकों** की जियोटैग की गई **तस्वीरों को** अपलोड करना
- जीपीडीपी की तैयारी
- प्लानप्लस अनुप्रयोग पर **अनुमोदित योजना का प्रकाशन**

के माध्यम से ग्रामसभा स्तर पर योजना बनाने के लिए एक गहन और संरचित प्रयास होगा। अभियान के

लिए कार्यक्रम / गतिविधि कैलेंडर **अनुबंध - III में** दिया गया है । इस अभियान के हिस्से के रूप में, सभी ग्राम पंचायतों के संबंध में मिशन अंत्योदय (एमए) डेटा संग्रह का अभ्यास पूरा करने का भी प्रस्ताव है।यह आंकड़ा वर्तमान में लगभग 44,111 ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध है और कुल लगभग 2.49 लाख ग्राम पंचायतों में से शेष ग्राम पंचायतों के लिए एकत्रित किया जाना आवश्यक है।

जन योजना अभियान के दौरान की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के दिशानिर्देशों को आगामी खंड में वर्णित किया गया है।

2. **अभियान पोर्टल और परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू):** वास्तविक समय सूचना साझाकरण की निगरानी और सुविधा इस तरह के बड़े अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने एक पोर्टल (www.gpdp.nic.in) का परिचालन किया है , जिसके माध्यम से अभियान की प्रगति की निगरानी की जाएगी।अभियान के पहले, उसके दौरान और बाद में विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए, राज्यों को पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। सभी राज्यों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिवों से अनुरोध है कि वे अभियान के लिए तुरंत नोडल अधिकारी (एन ओ) नियुक्त करें। पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता नाम (नेम यूजर) और पासवर्ड एक कैस्केडिंग मोड में प्रदान किया जाएगा। राज्य नोडल अधिकारी के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड केंद्रीय स्तर पर जबकि जिला, ब्लॉक और सुविधा प्रदाता स्तर के लिए ये राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा उनके अगले ऊपरी स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह, संबंधित विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। संबंधित विभागों के ये राज्य स्तर के नोडल अधिकारी नामित दिनों पर ग्राम सभा (जीएस) बैठकों के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रथम पंक्ति कर्मचारियों को नामित और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पोर्टल को कार्यान्वित करने और तकनीकी प्रश्नों को हल करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय में एक पीएमयू की स्थापना की जाएगी।

सुविधा प्रदाता की भूमिका

- एमए प्रारूप का उपयोग कर **मिशन अंत्योदय (एमए) के तहत सर्वेक्षण करना**
- भाग लेने वाले मंत्रालयों / विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ समन्वय
- नामित दिन पर जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा की सुविधा
- ग्रामसभा के दौरान कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / दिव्यांग का सामुदायिक संघटलन सुनिश्चित करें
- पोर्टल पर ग्राम सभा के संचालन के संबंध में एक रिपोर्ट पेश करना
- जीपीडीपी की तैयारी में सहायता
- प्लानप्लस पर जीपीडीपी अपलोड करना

3. **प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधा प्रदाता :** प्रत्येक ग्राम पंचायत / ग्राम सभा के लिए एक सुविधा प्रदाता राज्य द्वारा नियुक्त किया जाएगा।राज्य सुविधा प्रदाता के रूप में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकों या अन्य उपयुक्त अधिकारियों के नामांकन पर विचार कर सकता है। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त सुविधा प्रदाताओँ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियां करना आवश्यक होगा:

(क) विभिन्न मानदंडों के तहत स्कोरिंग के लिए एमए प्रारूप का उपयोग करके मिशन अंत्योदय (एम ए) **(अनुबंध - IV)** के तहत एक सर्वेक्षण करना और जो ग्राम सभा में मान्य हो।

(ख) नामित दिन पर जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा की सुविधा।

(ग) ग्रामसभा के दौरान एससी / एसटी / महिलाओं जैसे दुर्बल वर्गों सहित सामुदायिक आंदोलन सुनिश्चित करना ।ग्राम संगठनों / एसएचजी को ग्राम सभा के सामने उपस्थित होने के लिए समर्थन दिया जा सकता है, गरीबी उन्मूलन योजना जो विचार-विमर्श के बाद जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में शामिल की जा सकती है।

(घ) पोर्टल पर ग्राम सभा के संचालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट का एक टेम्पलेट अनुबंध - V पर है।

(ड.) भाग लेने वाले मंत्रालयों / विभागों के अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के साथ समन्वय।

4. **ग्राम सभा की बैठकों का कैलेंडर :** ग्राम सभा आयोजित करने के लिए ग्राम सभावार कैलेंडर को जिला / राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा और यह पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।जीपीडीपी योजना बनाने के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करने हेतु 2 अक्तूबर 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक एक विस्तृत विंडो, प्रदान की गई है ताकि नामित दिन पर ग्राम सभा में संविधान की XI वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। ग्रामसभा की गतिविधियों के कैलेंडर को तैयार करते समय, राज्य इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि एक ब्लॉक के भीतर दो ग्रामसभा बैठकें एक ही तारीख पर निर्धारित ना की जाएँ ताकि सभी संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। हालांकि, राज्य एक ही तारीख में एक ब्लॉक में एक से अधिक ग्राम सभा बैठकें निर्धारित कर सकते हैं यदि वे सभी ग्रामसभा बैठकों में संबंधित विभाग के अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद, प्लान प्लस पर अपलोड करने से पहले ग्राम सभा की एक और बैठक को भी अंतिम अनुमानित जीपीडीपी की मंजूरी के लिए अभियान अवधि के भीतर ही निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

5. **विशेष ग्राम सभा और संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की भागीदारी:** अभियान के दौरान एक व्यापक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।विशेष ग्राम सभा का मॉडल कार्यक्रम **अनुबंध - VI** में दिया गया है । इस विशेष ग्राम सभा में, सभी विकास संबंधी जरूरतों और अंतरालों पर चर्चा की जाएगी। अग्रिम पंक्ति कर्मचारी विभाग की गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त संरचित प्रस्तुति देंगे। प्रस्तुति की मॉडल संरचना **अनुबंध- VII** में दी गई है । अग्रिम पंक्ति कर्मचारी भी ग्राम सभा के समक्ष मौजूदा वर्ष में लागू होने वाली गतिविधियों की प्रगति और इनके लिए आवंटित की जाने वाले निधियों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावों और इनके लिए आवंटित की जाने वाली निधियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी करेंगे। कथन के रूप में सार्वजनिक प्रकटीकरण को जीपीडीपी योजनाओं में शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाना है,यदि एक बार ग्राम सभा द्वारा यह अनुमोदित कर दिया जाता है। नियुक्त सुविधा प्रदाता ग्राम सभा के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला जैसे दुर्बल वर्गों सहित सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ग्राम संगठनों / एसएचजी को ग्राम सभा के समक्ष उपस्थित होने के लिए समर्थन दिया जा सकता है, एक गरीबी उन्मूलन योजना को जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में विचार-विमर्श के बाद शामिल किया जा सकता है। ग्राम संगठनों / एसएचजी द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना की प्रस्तुति के लिए एक टेम्पलेट **अनुबंध - VIII में** संलग्न है।

6. **प्रशिक्षण मॉड्यूल:** अभियान को प्रस्तुत करने के एक प्रारंभिक अभ्यास के रूप में, प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला, पहले ही दिनांक 28 अगस्त, 2018 को एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद में राज्य एसआईआरडी प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जा चुकी है। प्रशिक्षण कैस्केड मोड में किया जाएगा अर्थात एनआईआरडी एवं पीआर राज्यों द्वारा मनोनीत मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करेगा, जो अपने राज्यों में सुविधाप्रदाता के लिए संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। पहले स्तर का प्रशिक्षण एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद में 6-7 अगस्त, 2018 के दौरान आयोजित किया जाना निर्धारित है।महानिदेशक, एनआईआरडी और पीआर ने इस संबंध में संबंधितों और मास्टर प्रशिक्षकों को अलग-अलग संबोधित किया है जिसके अनुसार उन्हें नामित किया जा सकता है।

7. **जन सूचना प्रदर्शन बोर्ड:** ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि जानकारी,सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण हेतु योजनाओं के तहत हस्तक्षेप की वास्तविक और वित्तीय प्रगति सहित,मिशन अंत्योदय पैरामीटर से उभरते महत्वपूर्ण अंतराल दर्शाने वाला 20 फीट x 10 फीट के आकार का एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए।सार्वजनिक सूचना बोर्ड का डिज़ाइन **अनुबंध-IX (क)** पर संलग्न है ।सार्वजनिक सूचना बोर्ड की स्थापना के लिए अनुमानित लागत **अनुबंध-IX (ख)** पर संलग्न है ।

   राज्य आरजीएसए के आईईसी घटक, चौदहवें वित्त आयोग आवंटन से प्रशासनिक लागत , मनरेगा या अन्य उपयुक्त स्रोत से इस उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

8. **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना :** विशेष ग्रामसभा के दौरान एम ए सर्वेक्षण और अन्य डेटा से अंतराल की पहचान की जाएगी। ये अंतराल क्षेत्रीय आवश्यकताओं का संकेतक हैं जिन्हें संबंधित विभागों और अन्य विकास गतिविधियों की विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तक्षेप के माध्यम से पर्याप्त रूप से भरने की आवश्यकता है। ग्राम सभा द्वारा तीन व्यापक श्रेणियों में अंतर को वर्गीकृत किया जाना चाहिए - **विशेष रूप से महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता और वांछनीय** ।अंतराल विश्लेषण और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, ग्राम पंचायत जीपीडीपी के तहत की जाने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप दे सकती है। जिन राज्यों ने 2019-20 के लिए जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वे अपने मौजूदा कार्यों के साथ इसे जारी रख सकते हैं और पीपीसी समय-सारिणी के साथ अपनी जीपी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए इसे जोड़ सकते हैं। जीपीडीपी पर एक स्नैपशॉट **अनुबंध - X** में दिया गया है।

9. **बुनियादी सेवाओं से संबंधित गतिविधियां** :वर्ष 2019-20 के लिए जीपीडीपी के निर्माण को संसाधित करते समय, ग्राम सभा यह सुनिश्चित कर सकती है कि बुनियादी सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को एफएफसी आवंटन से नियोजित किया जा सकता है।लागत आधारित गतिविधियों की योजना केवल निधियों की उपलब्धता के अनुसार ही की जा सकती है। चूंकि लंबी अवधि की परियोजनाओं में कई गतिविधियां होंगी, इसलिए इसे अलग-अलग वार्षिक योजनाओं में ले जाया और आवंटित किया जाएगा।

10. **अनुमोदित योजना का प्रकाशन:** स्वरूपित अनुबंध X में जीपीडीपी बनाने के बाद और उपर्युक्त तरीके से ग्रामसभा की मंजूरी के साथ, अंतिम योजना को प्रकाशित और योजना प्लानप्लस में अपलोड किया जाना चाहिए। सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए योजना की हार्ड कॉपी ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी

जा सकती है। इसके अलावा, कार्यान्वयन वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर जीपीडीपी की संपत्ति निर्माण गतिविधियां प्रकाशित की जा सकती हैं। योजना प्लस पर अनुमोदित जीपीडीपी अपलोड करने का कार्य 31 दिसंबर, 2018 तक पूरा होना चाहिए।

11. राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर (एनएलएम): अभियान के दौरान अपना सर्वेक्षण करने के लिए एनएलएम को स्थापित किया जाएगा। इन एनएलएम से देश भर में यादृच्छिक चयन के आधार पर कुछ ग्राम पंचायतों को शामिल करने की उम्मीद है। वे अभियान के प्रभाव की प्राथमिक सूचना प्रदान करेंगे और ग्राम सभा में प्रथम पंक्ति कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों की भागीदारी का सत्यापन भी करेंगे।

नोट: पांचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्रों की ग्राम पंचायत के मामले में, संबंधित राज्यों के पीईएसए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।

अनुबंध-I

'जन योजना अभियान' - एक स्नैपशॉट

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

सबकी योजना सबका विकास

जन योजना अभियान

2 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018

पंचायती राज मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

जन योजना अभियान का उद्देश्य ...(1)

- प्रभावी ग्रामसभा में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और 5.25 करोड़ एसएचजी महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाना।
- वर्ष 2018-19 में किए गए प्रगति के साक्ष्य आधारित आकलन और ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29विषयों में 20-2019के प्रस्ताव।
- जन सचना अभियान -ग्राम पंचायत कार्यालय और ग्राम संवाद ऐप पर सभी कार्यक्रमों की योजनाओं, वित्त, आदि का ग्राम डिस्प्ले बोर्ड पर पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण।

जन योजना अभियान का उद्देश्य ...(2)

- संरचित ग्राम सभा की बैठक 2अक्टूबर 31 -दिसंबर, 2018तक वास्तव में उपस्थित एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सभी 2 9 क्षेत्रों के फ्रंटलाइन श्रमिक/पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुति।
- प्लानप्लस को व्यावहारिक और समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मजबूती मिली ..

संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अनुसार अनुसूची XI में सूचीबद्ध 29 विषय

1. कृषि
2. भूमि सुधार
3. लघु सिंचाई
4. पशुपालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक वानिकी
7. लघु वनोपज
8. लघु उद्योग
9. खादी, गांव और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवासन
11. पीने का पानी / पेयजल
12. ईंधन और चारा
13. सड़कें
14. ग्रामीण विद्युतीकरण
15. गैर परंपरागत ऊर्जा
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा
18. व्यावसायिक शिक्षा
19. वयस्क और गैर औपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियां
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. सामाजिक कल्याण
27. कमजोर वर्गों का कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक परिसंपत्ति का रखरखाव

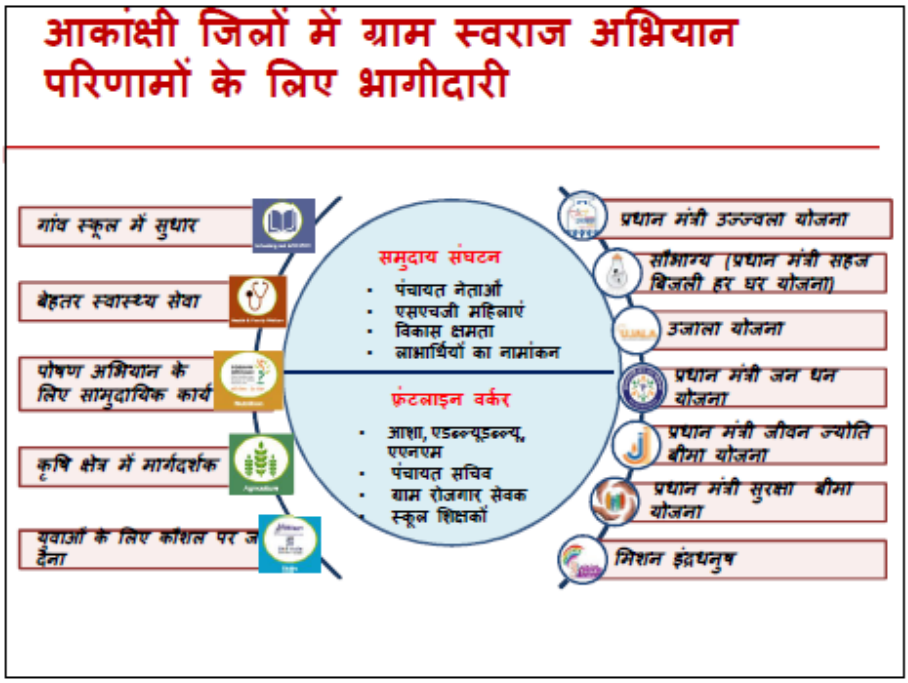
आकांक्षी जिलों में ग्राम स्वराज अभियान परिणामों के लिए भागीदारी
गांव स्कूल में सुधार
बेहतर स्वास्थ्य सेवा
पोषण अभियान के लिए सामुदायिक कार्य
कृषि क्षेत्र में मार्गदर्शक
युवाओं के लिए कौशल पर ज
देना
समुदाय संघटन
पंचायत नेताओं
एसएचजी महिलाएं
विकास क्षमता
लाभार्थियों का नामांकन
फ्रंटलाइन वर्कर
आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम
पंचायत सचिव
ग्राम रोजगार सेवक
स्कूल शिक्षकों
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना)
उजाला योजना
प्रधान मंत्री जन धन योजना
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
मिशन इंद्रधनुष

GIS based planning

Gram Sabha , Andhra Pradesh

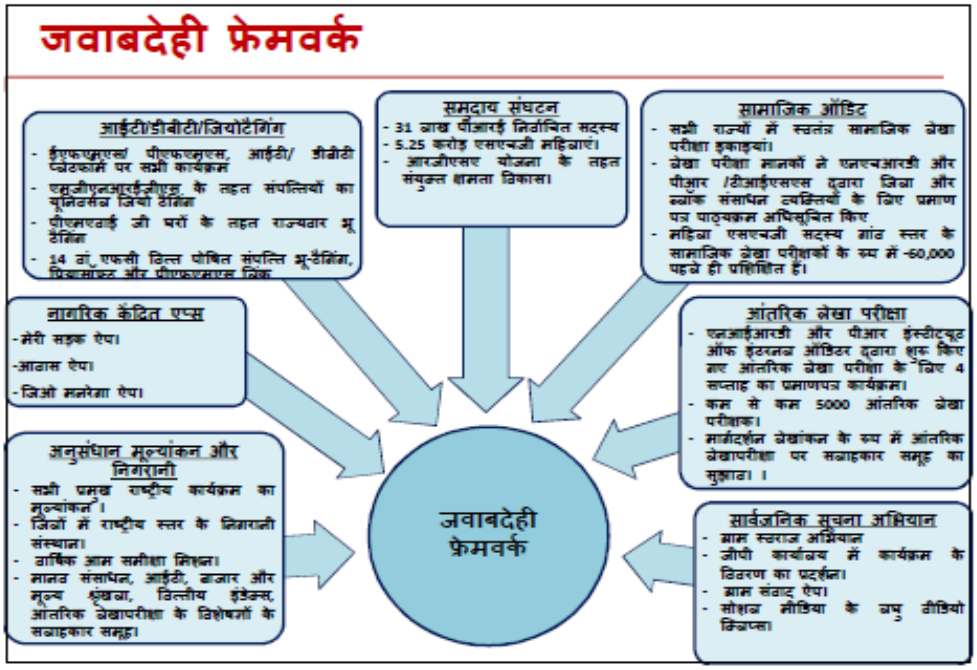

जवाबदेही फ्रेमवर्क
आईटी/डीबीटी/जियोटैगिंग
- ईएफएमएस/ पीएफएमएस, आईटी/ डीबीटी प्लेटफार्म पर सभी कार्यक्रम
- एमजीएनआरईजीएस के तहत संपत्तियों का यूनिवर्सल जियो टैगिंग
- पीएमएवाई जी घरों के तहत राज्यवार भू टैगिंग
- 14 वां एफसी वित्त पोषित संपत्ति भू-टैगिंग, प्रियासॉफ्ट और पीएफएमएस लिंक
समुदाय संघटन
- 31 लाख पीआरआई निर्वाचित सदस्य
- 5.25 करोड़ एसएचजी महिलाएं।
- आरजीएसए योजना के तहत संयुक्त क्षमता विकास।
सामाजिक ऑडिट
- सभी राज्यों में स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां।
- लेखा परीक्षा मानकों ने एनएचआरडी और पीआर /टीआईएसएस द्वारा जिला और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अधिसूचित किए
- महिला एसएचजी सदस्य गांव स्तर के सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में -60,000 पहले ही प्रशिक्षित हैं।
नागरिक केंद्रित एप्स
-मेरी सड़क ऐप।
-आवास ऐप।
-जिओ मनरेगा ऐप।
आंतरिक लेखा परीक्षा
- एनआईआरडी और पीआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर द्वारा शुरू किए गए आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए 4 सप्ताह का प्रमाणपत्र कार्यक्रम।
- कम से कम 5000 आंतरिक लेखा परीक्षक।
- मार्गदर्शन लेखांकन के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा पर सलाहकार समूह का सुझाव। ।
अनुसंधान मूल्यांकन और निगरानी
- सभी प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल्यांकन।
- जिलों में राष्ट्रीय स्तर के निगरानी संस्थान।
- वार्षिक आम समीक्षा मिशन।
- मानव संसाधन, आईटी, बाजार और मूल्य श्रृंखला, वित्तीय इंडेक्स, आंतरिक लेखापरीक्षा के विशेषज्ञों के सलाहकार समूह।
जवाबदेही फ्रेमवर्क
सार्वजनिक सूचना अभियान
- ग्राम स्वराज अभियान
- जीपी कार्यालय में कार्यक्रम के विवरण का प्रदर्शन।
- ग्राम संवाद ऐप।
- सोशल मीडिया के लघु वीडियो क्लिप्स।

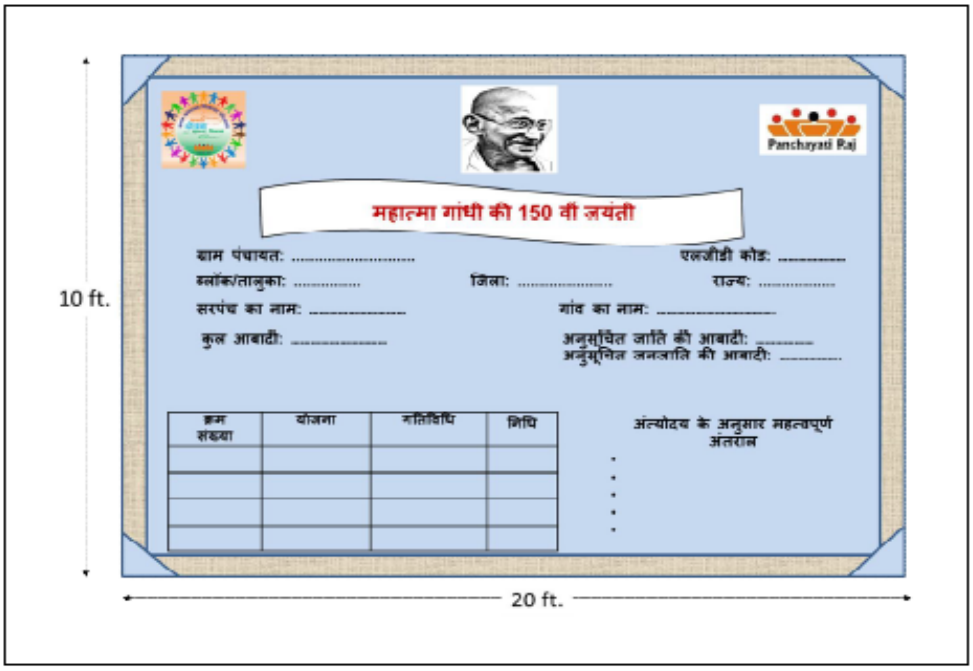

10 ft.
Panchayati Raj
महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती
ग्राम पंचायत: ....
एलजीडी कोड: ....
ब्लॉक/तालुका: ....
जिला: ....
राज्य: ....
सरपंच का नाम: ....
गांव का नाम: ....
कुल आबादी: ....
अनुसूचित जाति की आबादी: ....
अनुसूचित जनजाति की आबादी: ....
क्रम संख्या
योजना
गतिविधि
तिथि
अंत्योदय के अनुसार महत्वपूर्ण अंतराल
20 ft.

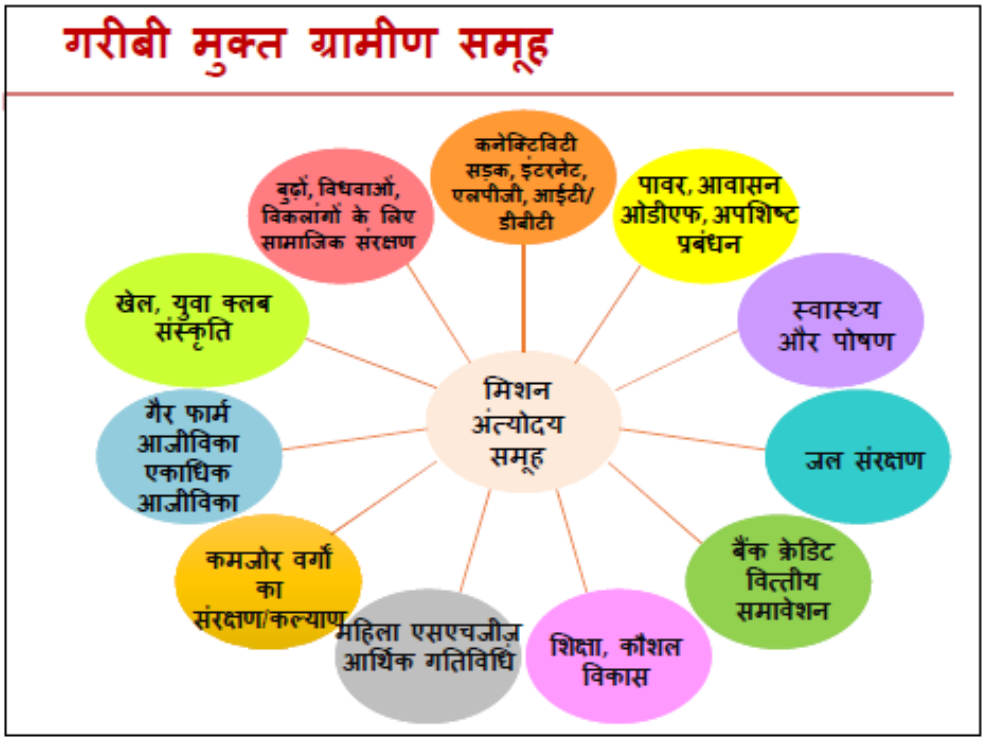
गरीबी मुक्त ग्रामीण समूह
मिशन अंत्योदय समूह
कनेक्टिविटी सड़क, इंटरनेट, एलपीजी, आईटी/ डीबीटी
पावर, आवासन ओडीएफ, अपशिष्ट प्रबंधन
स्वास्थ्य और पोषण
जल संरक्षण
बैंक क्रेडिट वित्तीय समावेशन
शिक्षा, कौशल विकास
महिला एसएचजीज़ आर्थिक गतिविधि
कमजोर वर्गों का संरक्षण/कल्याण
गैर फार्म आजीविका एकाधिक आजीविका
खेल, युवा क्लब संस्कृति
बुढ़ों, विधवाओं, विकलांगों के लिए सामाजिक संरक्षण

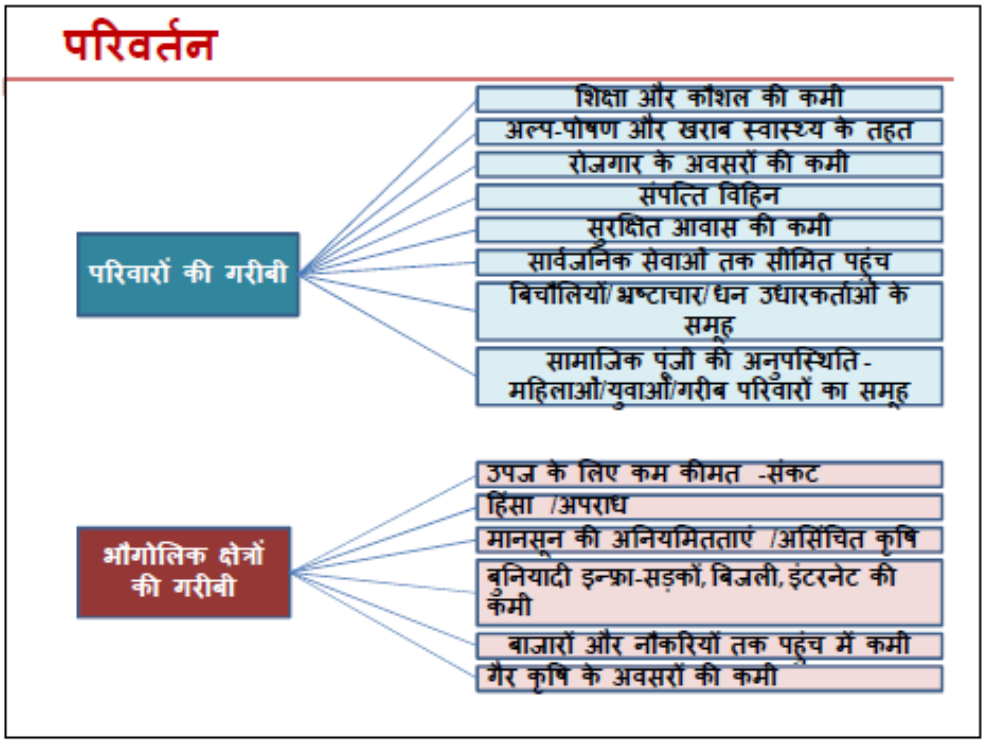
परिवर्तन
परिवारों की गरीबी
शिक्षा और कौशल की कमी
अल्प-पोषण और खराब स्वास्थ्य के तहत
रोजगार के अवसरों की कमी
संपत्ति विहिन
सुरक्षित आवास की कमी
सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच
बिचौलियों/भ्रष्टाचार/धन उधारकर्ताओं के समूह
सामाजिक पूंजी की अनुपस्थिति - महिलाओं/युवाओं/गरीब परिवारों का समूह
भौगोलिक क्षेत्रों की गरीबी
उपज के लिए कम कीमत -संकट
हिंसा /अपराध
मानसून की अनियमितताएं /असिंचित कृषि
बुनियादी इन्फ्रा-सड़कों, बिजली, इंटरनेट की कमी
बाजारों और नौकरियों तक पहुंच में कमी
गैर कृषि के अवसरों की कमी

एसईसीसी 2011- अधिकांश वंचित वर्गों पर केंद्रित प्रयास

ब्यौरा	वंचित परिवार
कुछ दीवारों और कुछ छत के साथ जीरो रूम या एक कमरा (डी 1)	2,37,31,674
16 से 59 (डी 2) के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं	65,15,205
बिना किसी वयस्क के महिलाएं परिवार की प्रमुख सदस्य, 16 से 59 वर्ष (डी 3)	68,96,014
अक्षम सदस्य और कोई सक्षम शरीर वयस्क सदस्य नहीं (डी 4)	7,16,045
एससी/एसटी परिवार (डी 5)	3,85,82,225
25 साल से ऊपर कोई साक्षर वयस्क नहीं (डी 6)	4,21,47,568
भूमिहीन परिवार मैनुअल आकस्मिक मजदूर के रुप में (डी 7)	5,37,01,383

जीवनशैली परिवर्तन और आजीविका मापने के परिणाम

अपेक्षित हस्तक्षेप

- पीएमएवाई ग्रामीण
- डीएवाई - एनआरएलएम
- एमजीएनआरईजीएस
- डीडीयूजीकेवाई / आरएसईटीआई
- एनएसएपी
- आजीविका
- शिक्षा/कौशल
- पशु/संसाधन
- गैर-फार्म विकल्प
- बाजार/मूल्य
- सामाजिक पूंजी
- बैंक लिंकेज
- उद्यम
- पेशेवर
- बागवानी
- आर्गेनिक
- स्वास्थ्य
- पोषण
- एसबीएम

ग्राम पचायत प्रदशन का माप (जनगणना 2011) घरेलू कल्याण (एसईसीसी 2011)

बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए पहुंच	सामाजिक विकास और संरक्षण	○ आर्थिक विकास और आजीविका का वितरण
बारह मासी सड़क) वाई /एन(	बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण %	विविध आजीविका के लिए बैंक ऋण के साथ एचएच़ का %
बैंक/बैंकिंग संवाद के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी)वाई/एन(	कम वजन के अविकसित, कमजोर 0-3 वर्ष से नीचे के बच्चों का %	डेयरी और पशु संसाधनों के माध्यम से कमाई एचएच़ का %
सुरक्षित आवास वाले परिवारों का %	मातृत्व लाभ/स्वास्थ्य संरक्षण, मूल दवाओं और प्राथमिक देखभाल तक पहुंच के साथ वंचित एचएच़ का %	मजदूरी/स्व-रोजगार में नियुक्ति/निपटारे के साथ एचएच़ का %।
रोज 12 घंटे के लिए एचएच़ बिजली पाने वालों का %	खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ पानी के साथ एचएच़ का %	बचत खाते में 10,000 रुपये से अधिक के साथ एचएच़ का %।
एलपीजी पर खाना पकाने वाले एचएच़ का%	माध्यमिक शिक्षा /कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करने वाली लड़कियों का %	कौशल, बाजार और बैंक संबंध के साथ गैर कृषि रोजगार में एचएच़ का %
कृषि भूमि का 2 फसलों/सुरक्षात्मक सिंचाई दे रहा %	सामाजिक सुरक्षा के तहत अक्षम बुजुर्गों, विधवाओं दिव्यांगों का %	किसान निर्माता संगठन /पीएसीएस में एचएच़ का %
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन/ओडीएफ के साथ एचएच़ का %	कौशल/उच्च शिक्षा के तहत शामिल 18-24 वर्ष का %	भुगतान/स्व-रोजगार में महिलाओं का %

बेसलाइन सर्वेक्षण से निरीक्षण

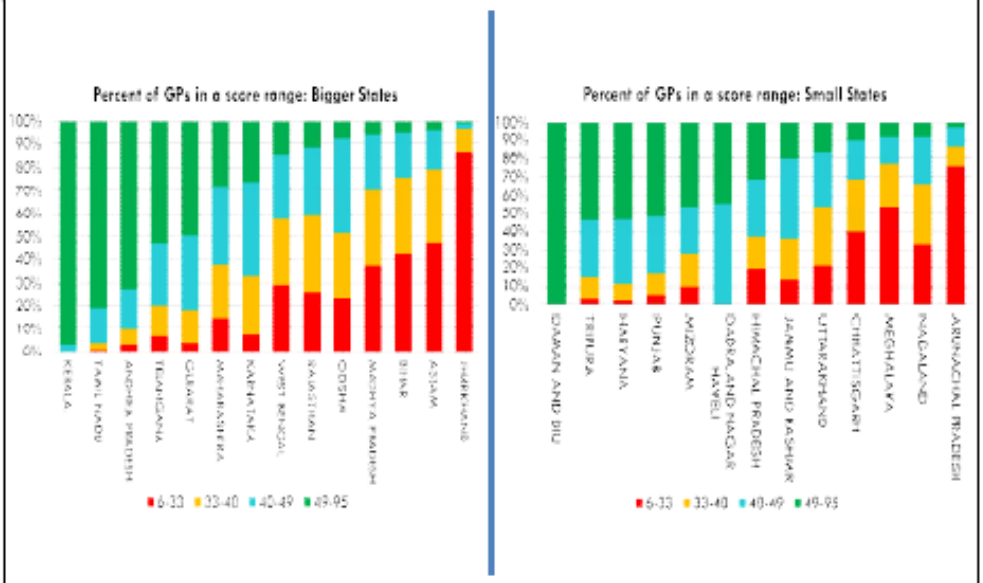

किशोरावस्था लड़कियां - स्कूली शिक्षा क्रांति

क्रम सं.	पैरामीटर बदलना	1986-87	2015
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में लड़कियां	69.23% 6+ महिलाओं ने कभी नामांकन नहीं किया (एनएसएसओ - 42वां दौर)	लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा आठवीं तक उपस्थिति अनुपात समान (एनएसएसओ -71वां दौर)
2.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की भागीदारी	बहुत कम	माध्यमिक पर लगभग बराबर
3.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	95	38
4.	टीएफआर	4.1	2.2
5.	विवाह की आयु	निम्न	वृद्धि
6.	पीआरआईज़ में प्रभावी आशा, एसएचजी महिलाएं और महिलाएं	निम्न/नही	उच्च/कई

पंचायत सांख्यिकी

देश में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	:	2,55,537
ग्राम पंचायतों की संख्या	:	2,48,624
प्रखंड पंचायतों की संख्या	:	6,307
जिला पंचायतों की संख्या	:	606
पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	:	31.00 लाख
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	:	13.76 लाख (44%)

क्षेत्र जहां पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं (गैर IX भाग):

मेघालय, मिजोरम , नागालैंड एवं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, प.बंगाल का दार्जीलिंग जिला व असम एवं त्रिपुरा के भाग

प्रति ग्राम पंचायत औसत आबादी

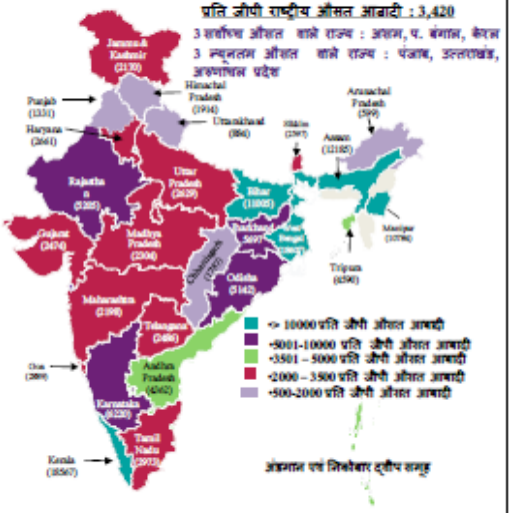

प्रारंभिक कार्य .... (1)

- रूपरेखा के दृष्टिकोण के लिए मुख्य सचिवों को पत्र।
- 18 मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।
- पंचायत नेताओं और एसएचजी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल -28 अगस्त 2018 - एनआईआरडी-एसआईआरडी कार्यशाला।
- जिलों/राज्यों द्वारा ग्राम सभा के कैलेंडर तैयार करना।
- ग्रामसभा में फ्रंटलाइन श्रमिकों द्वारा संरचित प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

प्रारंभिक कार्य .... (2)

- ग्राम सभा की बैठक के लिए व्याख्यात्मक अनुसूची।
- पूर्ण पृष्ठभूमि जानकारी/डेटा के साथ प्रि पॉपुलेटिंग प्लान प्लस।
- एनआईआरडी और पीआर ने सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपीज़) और डीएवाई-एनआरएलएम के समूह समन्वयक के लिए जीपीडीपी बैठक की सुविधा पर मॉड्यूल का नेतृत्व किया।
- जीपीडीपी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पंचायत तिमाही पत्रिका का अगला अंक।
- प्रिया सॉफ्ट अपलोडिंग, ईएफएमएस/ पीएफएमएस/ जियो-टैगिंग/ 14 वां वित्त आयोग अपडेट करें।

जन सूचना अभियान

- जीपी कार्यालय में बोर्डों पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति का प्रदर्शन।
- ग्राम संसद पर अपलोड करना
- सभी जीपीज़ द्वारा मिशन अंत्योदय की तरह सभी प्रारूपों पर सभी ग्राम पंचायत/गांवों की रैंकिंग की
- जन योजना अभियान पर डिस्प्ले बोर्ड, बिल बोर्ड।
- फ्रंटलाइन श्रमिकों के साथ अंतर व्यक्तिगत संचार सामग्री।

जन योजना अभियान की निगरानी

- पोर्टल अपलोड करने वाले जीपी मीटिंग दृश्य।
- मानक प्रारूप में सुविधा प्रदाताओं के बारे में रिपोर्ट।
- सभी 29 क्षेत्रों के लिए जीपीडीपी की प्लानप्लस अपलोड करना।
- संबंधित विभागों के प्रत्येक जिला/राज्य/केंद्रीय स्तर के अधिकारी ग्राम सभा का भ्रमण करें।
- एनएलएम ग्राम सभाओं का यादृच्छिक दौरा करता है।

भाग लेने वाले मंत्रालय/ विभाग

तैयारी के लिए समय सीमा

क्रम सं.	समय सीमा	दिनांक
1.	सभी राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, सचिव को पत्र (पीआर और आरड)	13 अगस्त 2018
2.	प्री पॉप्युलेटिंग प्लानप्लस।	30 अगस्त 2018
3.	ईएफएमएस/पीएफएमएस/प्रियासॉफ्ट/भू-टैगिंग	30 अगस्त 2018
4.	पंचायत तिमाही पत्रिका प्रेषित	25 अगस्त 2018
5.	पीआरआईज़/ एसएचजीज़ तैयार करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार	30 अगस्त 2018
6.	सुविधा प्रदाताओं के प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ	30 अगस्त 2018
7.	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति	10 सितंबर 2018
8.	कार्यक्रमों के ग्राम सभावार कैलेंडर अपलोड किया गया	10 सितंबर 2018
9.	इलस्ट्रेटिव ग्राम सभा बैठक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया	30 अगस्त 2018
10	सभी कार्यक्रमों पर प्रत्येक जीपी में सार्वजनिक सूचना बोर्ड	15 सितंबर 2018
11	ग्राम सभा की बैठक के लिए तैनाती आदेश जारी किया गया	15 सितंबर 2018

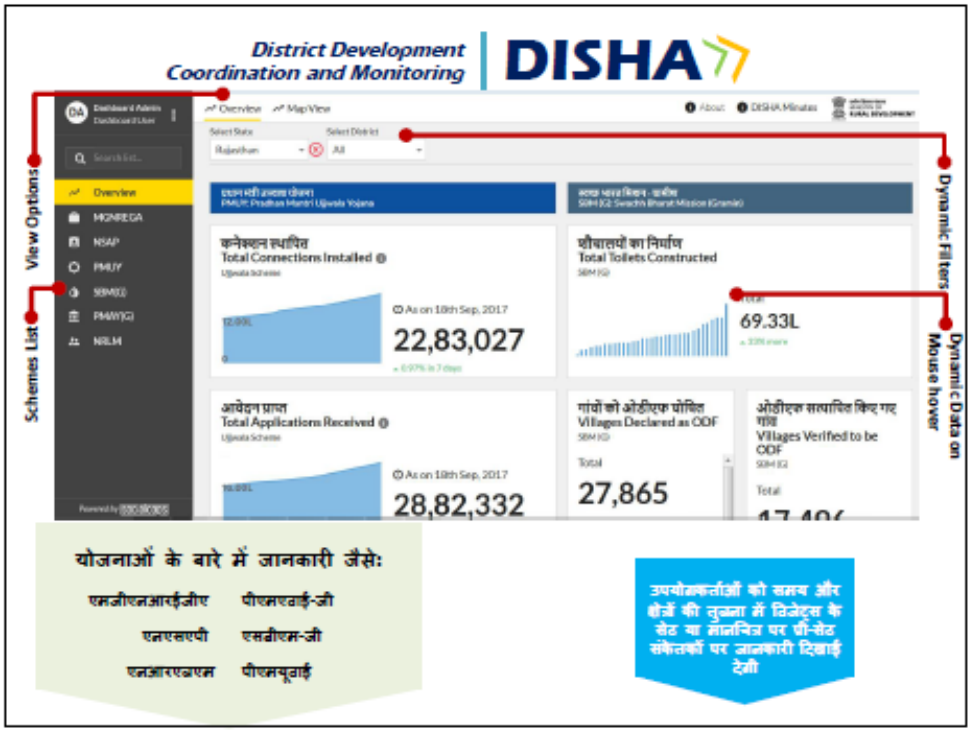

ग्राम संवाद- सूचना से सशक्तिकरण
To choose current location using GPS
Currently Bilingual, next release would be Multilingual
Login/Sign up
Dashboard
Language
Change Location
About Gram Samvaad
Contact Us
Rural Web Portal
Disclaimer
Gram Samvaad
MGNREGA
PMAY-G
DAY-NRLM
PMGSY
NSAP
DDUGKY
Rurban
14th Finance Commission
Disclaimer
Read out the content for user
List of beneficiaries in GP Garkote-A given 1st instalment

अनुबंध **-II**

2 अक्टूंबर से 31 दिसंबर,2018 तक चलने वाले सहभागितापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) अभियान से संबंधित सचिव, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र

अमरजीत सिन्हा

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
कृषि भवन,नई दिल्ली-110001
दूरभाष.: 91-11-23389008,
23074309

फैक्स :91-11-23389028
ईमेल-: secy-mopr@nic.in

अ.शा .#के -14016/02/2018-पीसी 13 अगस्त, 2018

विषय: सहभागितापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)- 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018

प्रिय मुख्य सचिव,

जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत ने चालू वर्ष के 2 अक्टूबर से अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में, और नए अनुमोदित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत धन का उपयोग करने के लिए, हम इसे पूरी तरह से सहभागितापूर्ण प्रक्रिया बनना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए, ग्राम सभा की बैठकों को 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 के बीच आयोजित करना महत्वपूर्ण है। यह संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायत को सभी 29 स्थानांतरित विषयों के प्रमुख कर्मियों द्वारा अनिवार्य भागीदारी और प्रस्तुति को सक्षम करेगा।

2. प्रारंभिक कार्य के रूप में हम राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों के लिए किए गए प्रत्येक ग्राम पंचायत के बुनियादी सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन को उपलब्ध करा रहे हैं। जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी)2011 और सभी संबंधित कार्यक्रमों के डेटाबेस से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके, बुनियादी ढांचे, मानव विकास और आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के लिए पृष्ठभूमि रैंकिंग प्रदान करना संभव है।
इन अंतरालों के आकलन के आधार पर, ग्राम पंचायत इन अंतराल को प्रभावी ढंग से दूर करने पर ग्राम सभा की बैठक पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

3. मैं आपके सुझावों के लिए विषय पर एक विस्तृत पावर प्वायईंट प्रेजेंटेशन संलग्न कर रहा हूं। इस पत्र की प्रतियां ग्राम पंचायत के हस्तक्षेप के अनुसार ग्राम पंचायत के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को भी भेजी जा रही हैं। प्रतियां ग्रामीण विकास और पंचायती राज (आरडी और पीआर) विभागों के प्रमुख सचिवों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के आयुक्तों और सभी राज्यों / राज्य् संघ क्षेत्रों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के निदेशकों के लिए भी भेजी गई हैं। इसका इरादा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से महिला समुदाय संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) और ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षित करना है। पंचायती राज मंत्रालय ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए) पोर्टल की तर्ज पर एक पोर्टल विकसित करेगा जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत की जीपीडीपी योजना का अनुसरण किया जा सकता है।

4. सार्वजनिक सूचना को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय योजनाओं से आश्वासन निधि के साथ राज्य और स्थानीय सरकारों के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड का भी प्रस्ताव है, जहां ग्रामीणों को पहलों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा सकती है। ग्राम संवाद पहले से ही एक अनुप्रयोग के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऐसी जानकारी प्रदान कर रहा है।

5. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए प्रारंभिक कार्य के प्रभावी रोल-आउट के लिए समय सीमा संलग्न स्लाइडों में से एक में प्रदान दी गई है। यह निम्नानुसार है: -

क्रम संख्या	समय सीमा	तिथि
(i)	सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों, सचिवों (पीआर एंड आरडी) को पत्र	13 अगस्त 2018
(ii)	प्लान प्लस को पूर्ण करना	30 अगस्त , 2018
(iii)	ईएफएमएस जियोटैगिंग / प्रियासॉफ्ट /पीएफएमएस /	30 सितंबर, 2018
(iv)	पंचायत त्रैमासिक पत्रिका का वितरण	25 सितंबर 2018
(v)	पंचायती राज संस्थानओं / स्वपयं स्हा यता समूहों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी	30 सितंबर, 2018
(vi)	सुविधा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत	30 सितंबर, 2018
(vii)	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति	10 सितंबर, 2018
(viii)	कार्यक्रम कैलेंडर का ग्राम सभावार अपलोड करना	10 सितंबर, 2018
(ix)	व्याख्यात्मक दिया रूप अंतिम को कार्यक्रम बैठक सभा ग्राम (इलस्ट्रेटिव) गया	30 अगस्त 2018
(x)	सभी कार्यक्रमों पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड	15सितंबर, 2018
(xi)	ग्राम सभा की बैठक के लिए तैनाती आदेश जारी	15सितंबर, 2018

6. आपसे जीपीडीपी के प्रारंभिक कार्य की समीक्षा के लिए आग्रह किया जाता है ताकि अगर यह उल्लिखित समय-सारिणी के अनुसार तैयार की जाती है तो यह वास्तव में सहभागितापूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। मुझे यकीन है कि इससे कार्यक्रमों के सामुदायिक संपर्क में कई गुना सुधार होगा।

7. मैं 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 तक सहभागिता जीपीडीपी प्रक्रिया के प्रभावी रोल-आउट के लिए आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की आशा करता हूं। यह महात्मा गांधी को सबसे अचछी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हम 2 अक्टूबर को उनकी 150 वें जयंती उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं।

सादर,

आपका,

ह./-

[अमरजीत सिन्हा]
13 अगस्त, 2018

संलग्नक .: यथोपरि

1. सभी राज्यों / संघ राज्यर क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों / संघ राज्या क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास और पंचायती राज)।
3. सभी राज्यों एमजीएनआरजी के क्षेत्रों राज्य संघ /ईएस के आयुक्त।
4. सभी राज्यों के (एसआरएलएम) मिशन आजीविका ग्रामीण राज्य के क्षेत्रों राज्य संघ / निदेशक।
5. राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के निदेशक (एसआईआरडी)
6. एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद के महानिदेशक / डीडीजी।

अनुबंध – **III**

अभियान के लिए गतिविधियों का कैलेंडर

क्रम संख्या	गतिविधियां	समय सीमा
1	सुविधा प्रदाता का प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत	30अगस्त, 2018
2	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति(राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर) और सभी नोडल अधिकारियों द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण	10 सितंबर , 2018
3	ग्राम सभा बैठक के कार्यक्रम को अपलोड करना	10 सितंबर, 2018
4	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधा प्रदाता की नियुक्ति	10 सितंबर , 2018
5	सुविधा प्रदाताओं का प्रशिक्षण की समाप्ति	15 सितंबर , 2018
6	ग्राम की बैठकों के लिए संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति	15th सितंबर, 2018
7	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना पट्ट (बोर्ड) का प्रदर्शन और पोर्टल पर इसकी जियोटैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना	15सितंबर, 2018
8	ग्राम सभा की बैठकों के जियोटैंग किए गए विजुअल अपलोड करना	ग्राम सभा के संचालन के तुरंत बाद
9	प्लानप्लस अनुप्रयोग पर अनुमोदित योजना का प्रकाशन	31दिसंबर, 2018

अनुबंध- **IV**

ग्राम पंचायतों का दर्जा निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिवों को सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र

अमरजीत सिन्हा

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष :91-11-23382230, 23384467
फैक्स :011-233824028
ई –मेल: secyrd@nic.in

अ.शा.# सचिव(आरडी)/विविध /2018 24, अगस्त 2018

विषय: अवसंरचना, मानव विकास और आर्थिक गतिविधि-सितंबर, 2018 के स्केलल 100 पर ग्राम पंचायतों का दर्जा निर्धारण

प्रिय मुख्य सचिव,

जैसा कि आपको याद हो, राज्य सरकारों ने उद्देश्यआपूर्ण ढंग से सामाजिक पूंजी के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन किया है और आधारभूत संरचना, मानव विकास और आर्थिक गतिविधि के 100 के पैमाने पर इनकी रैंकिंग की है। यह अक्टूबर, 2017 के महीने में 1.06 लाख गांवों को कवर करने वाले 45,000 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन के लिए मिशन अंत्योदय फ्रेमवर्क के एक हिस्से के रूप में किया गया था। यह रैंकिंग आजीविका मिशन के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) जैसे क्षेत्र कार्यकर्ताओं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के ग्राम रोजगार सेवक आदि के माध्यम से की जाती है। यह missionantyodaya.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इससे गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर अंतरालों की पहचान करने में मदद मिली है और साक्ष्य आधारित आयोजना और कार्यान्वयन पर व्यवस्थित जोर दिया गया।

2. मिशन अंत्योदय के तहत ग्राम पंचायतों को रैंकिंग द्वारा बनाए गए अच्छे उपयोग के आधार पर, यह सुझाव दिया गया है कि साक्ष्य आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए सभी शेष ग्राम पंचायतों की भी उसी तरह रैंकिंग सितंबर 2018 के महीने में जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में की जाएगी।

सभी राज्यों ने राज्यों के ग्राम पंचायतों के लगभग पांचवें हिस्से में फील्ड फॉर्मेशन का काम और सर्वेक्षण प्रारूप, ऐप्स इत्यादि पहले से ही इसके कार्यान्वयन के लिए विकसित किए हैं। इससे प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए ग्राम पंचायत के अंतराल की स्पष्ट पहचान की सुविधा मिलेगी। चूंकि न्यू इंडिया 2022 की दृष्टि गरीबी रहित भारत का भी है, इसलिए गरीबी को बनाए रखने में योगदान देने वाले अंतरालों की पहचान के लिए लक्ष्यभ मानदंड विकसित करना महत्वपूर्ण है।

3. सर्वेक्षण आदि के लिए प्रारूप पहले से ही मौजूद हैं। सर्वेक्षण करने के लिए प्रशासनिक लागत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएई-एनआरएलएम) की प्रशासनिक लागत से ली जानी चाहिए। यह इस पर निर्भर करेगा कि किस अग्रिम पंक्ति की टीम पहचाने गए ब्लॉक में ग्राम पंचायत की रैंकिंग का काम करेगी। बेसलाइन सर्वेक्षण और प्रश्नावली के लिए दिशानिर्देश क्रमश: अनुबंध–I और अनुबंध-II में दिए गए हैं।

4. मैं राज्य में सभी शेष ग्राम पंचायतों के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए राज्य नोडल अधिकारी नामांकित करने और nictech-ma@gov.in पर इस विभाग के साथ अपने संपर्क विवरण साझा करने के लिए आपका आभारी रहूंगा।

सादर,

आपका,

ह./-
[अमरजीत सिन्हा]

संलग्नक : यथोपरि।
सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
प्रतिलिपि:

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास विभाग

ह./-
[अमरजीत सिन्हा]

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
सर्वेक्षण कार्य के लिए अपने कर्मियों की सेवाओं को आश्वस्त करने के लिए जे एस (आरई) और जे एस (आरएल)।

ह./-

[अमरजीत सिन्हा]

24/8/18

बेस लाइन सर्वे के लिए विस्तृत निर्देश

1. **राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति:** एसआरएलएम मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के रूप में वर्णित ग्राम पंचायतों के विस्तृत आधारभूत सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। प्रत्येक एसआरएलएम को राज्य के नोडल व्यक्ति के रूप में एक वरिष्ठ राज्य मिशन पेशेवर नियुक्त करने की आवश्यकता होती है; अधिमानतः, राज्य मिशन निदेशक राज्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। इसी तरह, प्रत्येक जिले में जिला नोडल अधिकारी के रूप में पीडी, डीआरडीए / डीआरडीसी होगा।
2. **संसाधन टीमों का प्रशिक्षण:** सर्वेक्षण से जुड़े कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईआरडी और पीआर के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत किए जाएंगे। प्रशिक्षण एक कैस्केडिंग मोड में आयोजित किया जाएगा। यह निम्नानुसार है:
    - एनआईआरडी और पीआर उनके साथ सूचीबद्ध 60 पेशेवरों को प्रशिक्षित करेगा और राज्यों में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए भी उन्हें संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षित करेगा
    - प्रत्येक एसआरएलएम प्रत्येक जिले से 6-8 संसाधन व्यक्तियों की टीम की पहचान करेगा। इन संसाधन व्यक्तियों को प्राथमिक रूप से गहन भागीदारी आयोजना के कार्य (आईपीपीई) में लगे व्यक्तियों से चुना जा सकता है।
    - पहचान किए गए राष्ट्रीय टीम के सदस्य जिला संसाधन व्यक्तियों का उन्मुखीकरण करेंगे। जिला संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कम से कम दो राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति आवंटित किए जाएंगे।
    - संसाधन व्यक्ति जिलों में एनआरएलएम और ग्रामीण रोजगार सेवक के गहन क्षेत्रों में सीआरपी को जो वर्तमान में एनआरएलएम के तहत शामिल नहीं हैं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे

3. **मूल्यांकन की अवधि:** राज्यों को 3 सितंबर से 28 सितंबर, 2018 के बीच पहचाने गए ग्राम पंचायतों में मूल्यांकन पूरा करने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टीमों की तैनाती की आवश्यकता होगी। प्रत्येक टीम में एक ही क्षेत्र से पहचाने गए एक / दो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि दो व्यक्तियों की प्रत्येक टीम प्रति दिन कम से कम 2-3 गांवों और दो दिनों में 1 ग्राम पंचायत से जानकारी को पूरा / एकत्र कर सकती है। राज्यों को मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी और पर्यवेक्षण करने की भी आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ / बीपीएम कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है।
4. **आकलन का तरीका:** सीआरपी टीमों से वार्ड सदस्य / सरपंच, जीपी सचिव, निर्वाचित पदाधिकारी, आईसीडीएस कर्मी , स्वास्थ्य कर्मचारी, स्कूल शिक्षक, गांव राजस्व अधिकारी, एनजीओ, अन्य लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, प्रतिनिधियों से बातचीत करने की उम्मीद

है। समुदाय आधारित संगठनों आदि और जानकारी एकत्रित करें। टीमों को सलाह दी जाती है कि वे गांवों के चारों ओर जाएं और एससी और एसटी आवासों सहित सभी आवासों को कवर करें।

5. **ग्रामसभा द्वारा सत्यापन :** टीम को प्रत्येक गांव में एकत्र की गई जानकारी की एक प्रिंट प्रति डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी और इसे अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। प्रतिक्रिया के आधार पर, आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं।

6. ***निधि और अनुमानित प्रशिक्षण लागत का स्रोत***

प्रशिक्षण लागत

क. एनआईआरडी एंड पीआर पेशेवरों की लागत: एनआईआरडी एंड पीआर पेशेवरों (5 वर्षों के अनुभव वाले) राज्य टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाया जाएगा। उन्हें एनआईआरडी एंड पीआर के मौजूदा मानदंडों के अनुसार संसाधन शुल्क और यात्रा लागत का भुगतान किया जाएगा।

***ख.* जिला संसाधन व्यक्तियों का उन्मुखीकरण :** राज्य स्तर पर जिला संसाधन व्यक्तियों को उन्मुख करने के लिए प्रशिक्षण की लागत स्वीकृत एनआरएलएम यूनिट लागत मानदंड के अनुसार होगी - 2000 रुपए (बोर्डिंग और लॉजिंग, यात्रा, प्रशिक्षण हॉल और विविध खर्चों की लागत शामिल है) प्रति प्रतिभागी।

***ग.* जिला स्तर पर सीआरपी / जीआरएस / छात्र / सहायकों का प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण सीआरपी / जीआरएस / छात्र / सहायकों की लागत अनुमोदित इकाई लागत मानदंडों के अनुसार एसआरएलएम द्वारा मिलेगी – रु:1000 प्रति व्यक्ति प्रति दिन। इसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, यात्रा, प्रशिक्षण हॉल की लागत, जहां भी लागू हो वहां संसाधन व्यक्तियों का मानदेय और विविध खर्च)

***घ.* सीआरपी / अन्य सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को भुगतान:** एसआरएलएम या तो सभी सीआरपी के लिए और यात्रा लागत के भुगतान के मौजूदा मानदेय को अपना सकते हैं और ऐसी अन्य सामाजिक पूंजी विशेष रूप से मूल्यांकन के लिए उपयोग की जा सकती है या निम्नलिखित दरों को अपनाने के लिए उपयोग की जाती है:

i. सीआरपी / छात्र / सहायक के लिए मानदेय: प्रति व्यक्ति 200 रुपये प्रति व्यक्ति
ii. सीआरपी / छात्र / सहायक के लिए स्थानीय यात्रा और खाद्य लागत: प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रति दिन

7. **निधि का स्रोत:** एसआरएलएम सीआरपी / जीआरएस / सर्वेक्षण / छात्रों और किसी भी अन्य ग्राम कार्यकर्ता की सेवाओं को भर्ती करने पर खर्च किए गए खर्चों को, जब तक कि गामीण विकास मंत्रालय से निधि जारी नहीं हो जाती तब तक अपने उपलब्ध अव्यतित राशि से पूरा कर सकते हैं।

8. **लागत निर्धारण :** लागत इस धारणा के आधार पर की जाती है कि:

- प्रति ग्राम पंचायत 5 गांवों को शामिल किया जाएगा
- यह अनुमान लगाया गया है कि दो व्यक्तियों की टीम प्रति दिन कम से कम 2-3 गांवों और दो दिनों में एक ग्राम पंचायत से जानकारी को पूरा / एकत्र कर सकती है।

- प्रशिक्षण की अवधि 2 दिनों की होगी।
- स्थानीय यात्रा आवश्यकता का विस्तार न्यूनतम होगा

सर्वे की अनुमानित लागत

क्रम संख्या	आइटम / मदें	संख्या
1	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों की कुल संख्या	228645*
2	प्रति ग्राम पंचायत 5 गांवों को शामिल करने की दर से कुल गांवों की संख्या	1143225
3	एक गांव को कवर करने के लिए आवश्यक मानव दिवसों की संख्या	1
4	प्रति व्यक्ति, प्रति दिन मानदेय, यात्रा एवं खाद्य भत्ता (रुपए में)	300
सर्वे की लागत (गांव* मानव दिवस*मानदेय)		**34,29,67,500**

(ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 272756 - अंत्योदय मिशन के तहत शामिल ग्राम पंचायत 44111)

जिला स्तर पर सीआरपी प्रशिक्षण की अनुमानित लागत

क्रम संख्या	आइटम/ मदें	संख्या
1	20 दिनों में कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या (228645*5)	1143225
2	प्रति दिन कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	57162
3	प्रति टीम @ 2 प्रशिक्षित और तैनात करने के लिए गणनाकर्ताओं की संख्या	114324
4	जिला स्तर पर प्रति दिन प्रति प्रतिभागी प्रशिक्षण की इकाई लागत (रुपये में)	1000
जिला स्तर पर दो दिन के प्रशिक्षण की लागत (व्यक्तियों * इकाई लागत * 2)		**23 करोड़**

राज्य स्तर पर जिला प्रशिक्षकों की अनुमानित लागत

क्रम संख्या	**आइटम/ मदें**	**संख्या**
1	जिलों की संख्या	640
2	प्रति जिला संसाधन व्यक्तियों की संख्या	4
3	कुल जिलों की संख्या जहां संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।	2560
4	राज्य स्तर पर प्रति दिन प्रति प्रतिभागी प्रशिक्षण की इकाई लागत (रुपये में)	2000
राज्य स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण की लागत (जिला संसाधन व्यक्ति * इकाई लागत * 2 दिन)		**1.02 करोड़**

ग्राम पंचायत प्रदर्शन (मिशन अंत्योदय संकेतक) को मापने के लिए प्रश्नावली

राज्य कोड	राज्य का नाम	
जिला कोड	जिले का नाम	
सीडी ब्लॉक कोड	सीडी ब्लॉक का नाम	
ग्राम पंचायत कोड	ग्राम पंचायत का नाम	
ग्राम कोड	गांव का नाम	गांव का पिन कोड

I. **मूल मापदंड** :

क्रम संख्या	मुख्य मापदंड	अधिभार	टिप्पणी
1.	कुल जनसंख्या		
2.	पुरुष		
3.	महिला		
4.	कुल परिवार		
5.	पदोन्नत एसएचजी की कुल संख्या		
6.	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
7.	कुल बुआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
8.	कुल असिंचित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
9.	सिचिंत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	4	>80%=4, 61-80%=3, 41-60%=2, 20-40%=1, <20%=0

II. मुख्य अवसंरचनात्मक मापदंड :

क्रम संख्या	मुख्य मापदंड	अधिभार		टिप्पणी
	अवसंरचनात्मक मापदंड			
10.	विशेष रूप से परिवारों का % जो शामिल है			
	क. कृषि कार्य			
	ख गैर कृषि कार्य	5		>50%
11.	बैंकों की उपलब्धता (हां=1, नहीं=2)	5	5	यदि हां तो 5
12.	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड दी गई है जहां सुविधा उपलब्ध है; (<3किमी-1; 3-5 किमी - 2; 5-10 किमी -3, >10 किमी -4)			विकल्प के लिए 1- 4; 2-3 3=2, विकल्प 4=0
13.	यदि गांव में बैंक उपलब्ध नहीं तो क्या; बैंक / व्यापार संवाददाता (बिजनेस करस्पॉन्डेंटट) की उपलब्धता इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है?		2	यदि हां और प्रश्न 5 का उत्तर नहीं है।
14.	एटीम की उपलब्धता (हां-1;नहीं-2)		1	यदि हां
15.	क्या गांव बारहमासी मौसमी सड़क से जुड़ा है (हां-1;नहीं2)	5		यदि हां
16.	क्या गांव में एक आंतरिक सीसी / ईंट की सड़क है (हाँ -1; संख्या -2)	4		यदि हां
17.	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता (बस -1; वैन -2; ऑटो -3; कोई नहीं -4)	3		विकल्प के लिए 1,2,3 =3 विकल्प 4 के लिए =0
18.	इंटरनेट कैफे / सामान्य सेवा केंद्र की उपलब्धता (हाँ -1;	2		

	संख्या -2)		
19.	घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता (1-4 घंटे -1; 5-8 घंटे -2; 9-12 घंटे -3;> 12 घंटे -4; कोई बिजली नहीं -5)	4	विकल्प के लिए 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=0
20.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	1	यदि हां
21.	बाजारों की उपलब्धता (मंडी -1; नियमित बाजार -2; साप्ताहिक हाट -3; कोई नहीं -4)	3	विकल्प के लिए 1,2 =3 विकल्प के लिए 3=1
22.	पाइप नल द्वारा पेयजल की उपलब्धता (1) 100% बस्तियों को कवर किया गया (2) 50 से 100% बस्तियों को कवर किया गया (3) <50% लोग/ बस्ती कवर (4) केवल एक आवास/ बस्ती कवर किया गया है (50 शामिल नहीं है)	4	विकल्प 1 =4 विकल्प 2 =3 विकल्प 3 = 2 विकल्प 4 = 1 विकल्प 5 = 0
23.	टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता (लैंडलाइन -1; मोबाइल -2; दोनों- 3; कोई भी नहीं -4)	2	विकल्प के लिए 1,2 ,3=2 विकल्प 4 =0
24.	स्वच्छ ऊर्जा (एलपीजी / बायो गैस) का उपयोग करने वाले परिवारों की कुल संख्या	4	<25% = 1 25%-50%=2 51%-75%=3 >75% =4 बगैर स्वच्छ ईंधन वाले घ/ परिवार = 0
25.	कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घरों की संख्या कच्ची दीवार...1 फूस/ छप्पर/ बांस आदि . 2 प्लास्टिक पॉलीथिन 3 मिट्टी/ कच्चा ईंट 4 लकड़ी 5 बिना मोर्टार के बंधे पत्थर की दीवार कच्ची छत ....1 फूस/ छप्पर/ बांस आदि . 2 प्लास्टिक/ पॉलीथिन 3 हस्त निर्मित खपड़ा	5	<20% = 5 20%-40%=4 41%-60%=3 61-80%=2 >80% = 1
26.	डाकघर / उप-डाकघर की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	1	
27.	स्कूल की उपलब्धता (प्राथमिक -1; मिडिल स्कूल -2; हाई स्कूल -3; वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय -4; कोई स्कूल -5)	4	विकल्प 4 = 4 विकल्प 3 के लिए =3 विकल्प 2 के लिए =2 विकल्प 1के लिए = 1 विकल्प 5के लिए = 0
28.	व्यावसायिक शैक्षिक केंद्र / आईटीआई / आरएसई टीआई / डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धता (हाँ -1, नहीं -2)	2	यदि हां
29.	उप केंद्र / पीएचसी / सीएचसी की उपलब्धता (पीएचसी -1; सीएचसी -2; उप केंद्र -3, कोई नहीं = 4)	3	विकल्प के लिए 1,2,3=3
30.	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी		<5किमी- 2 5-10 किमी-1

	सीमा कोड जहां सुविधा उपलब्ध है; (<5 किमी -1; 5-10 किमी 2; > 10 किमी -3)		>10 किमी-0
31.	पशु चिकित्सा क्लिनिक अस्पताल की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)	2	यदि हां
32.	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड जहां सुविधा उपलब्ध है; (<5 किमी -1; 5-10 किमी 2; > 10 किमी -3)		<5 किमी- 1 >5 किमी-0
33.	जल निकासी सुविधाओं की उपलब्धता (बंद जल निकासी -1; खुली पक्का जल निकासी टाइल्स स्लैब के साथ कवर -2; खुली पक्का बगैर कवर जल निकासी -3; खुली कच्चा जल निकासी -4; कोई जल निकासी -5)	4	विकल्प 1=4 विकल्प 2 = 3, विकल्प 3 =2, विकल्प 4=1 विकल्प 5 = 0
	आर्थिक विकास और आजीविका		
34.	मिट्टी परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	2	यदि हां
35.	सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)	1	यदि हां
36.	उर्वरक की दुकान की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)	1	यदि हां
	स्वास्थ्य , पोषण और स्वच्छता		यदि हां
37.	सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली (हाँ -1; नहीं -2)	2	यदि हां
38.	सामुदायिक जैव गैस या उत्पादन के उपयोग के लिए अपशिष्ट का रीसायकलिंग (हाँ- 1; नहीं -2)	3	यदि हां
39.	क्या गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) है (हां -1; नहीं -2)	3	यदि हां
40.	आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	1	यदि हां
41.	0-3 साल के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या		
42.	0-3 साल के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या जिनका पंजीकरण आंगनवाड़ी में किया गया हो।	2	यदि >80%=2 60%-80%=1 <60%=0
	0-3 साल की उम्र के बच्चों में की संख्या जिनका टीकाकरण किया गया हो	3	>95% = 3(एमसीटीएस),91-95%=2 80-90%=1,अन्य 0
43.	आईसीडीएस रिकॉर्ड के अनुसार गैर-स्टंट के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए बच्चों की संख्या	4	>90% = 4,81-90%=3 71-80%=2,60-70%=1 <60%=0
	महिला सशक्तिकरण		
44.	एसएचजी में संघटित परिवारों की संख्या	3	अगर >80% =3, 51% - 80%=2,25% - 50%=1, <25%=0
45.	निर्माता समूह (पीजी) में संघटित परिवारों की संख्या	2	यदि >=25%=2, 10%-25%=1, अन्य 0
46.	गांव आधारित कृषि द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या विस्तार श्रमिक	1	यदि >=25% =1 अन्य 0
47.	गांव आधारित पशुधन द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या विस्तार श्रमिक	1	यदि >=25% =1 अन्य 0

	वित्तीय समावेशन		
48.	बैंक ऋण का उपयोग करने वाले एसएचजी की संख्या	3	यदि >=80%=3, यदि 51% to 80%=2, if 25% से 50% =1, <25%=0
	कुल	**100**	

अनुबंध **-V**

सुविधा प्रदाता की रिपोर्ट

#	फील्ड	इनपुट
1	ग्राम सभा में मौजूद लोगों की संख्या	<संख्या>
2	ग्राम सभा में मौजूद अनुसूचित जातियों की संख्या	<संख्या>
3	ग्रामसभा में मौजूद अनुसूची जनजाति की संख्या	<संख्या>
4	ग्रामसभा में मौजूद एसएचजी सदस्यों की संख्या	<संख्या>
5	ग्राम सभा में मौजूद महिलाओं की संख्या	<संख्या>
6	फ्रंटलाइन श्रमिक उपस्थित होते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं	
6.1	पंचायती राज विभाग	<चेक बॉक्स >
6.2	ग्रामीण विकास विभाग	<चेक बॉक्स >
6.3	कृषि विभाग	<चेक बॉक्स >
6.4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	<चेक बॉक्स >
6.5	महिला एवं बाल विकास विभाग	<चेक बॉक्स >
6.6	विद्युत विभाग	<चेक बॉक्स >
6.7	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग	<चेक बॉक्स >
6.8	पशुपालन और डेयरी विभाग	<चेक बॉक्स >
6.9	राजस्व विभाग	<चेक बॉक्स >
6.10	पेयजल विभाग	<चेक बॉक्स >
6.11	नवीन और नवीकरण ऊर्जा विभाग	<चेक बॉक्स >
6.12	शिक्षा विभाग	<चेक बॉक्स >
6.13	कौशल विकास विभाग	<चेक बॉक्स >
6.14	सामाजिक न्याय विभाग	<चेक बॉक्स >
6.15	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	<चेक बॉक्स >
6.16	वित्त विभाग	<चेक बॉक्स >
6.17	सिंचाई विभाग	<चेक बॉक्स >
6.18	मत्स्य पालन विभाग	<चेक बॉक्स >
6.19	वन विभाग	<चेक बॉक्स >
6.20	लघु उद्योग विभाग	<चेक बॉक्स >
6.21	उद्योग विभाग	<चेक बॉक्स >
6.22	खादी ग्रामीण विभाग	<चेक बॉक्स >
6.23	<राज्य <विद्युत बोर्ड	<चेक बॉक्स >
6.24	ग्रामीण सड़क विकास कारपोरेशन	<चेक बॉक्स >
6.25	<राज्य <लोक निर्माण विभाग	<चेक बॉक्स >
7	अंत्योदय आंकडों का प्रस्तुति और सत्यापन	<चेक बॉक्स >
8	गरीबी से संबंधी मुद्दों और गरीबी न्यूनकरण योजना पर एसएचजी की प्रस्तुति	<चेक बॉक्स >
9	जीपीडीपी पर चर्चा	<चेक बॉक्स >
9.1	चालू वित्त वर्ष की गतिविधियों और निधियों के उपयोग की समीक्षा	<चेक बॉक्स >

9.2	वर्ष वाले होने उपलब्ध पास के पंचायत ग्राम में 20-2019 चर्चा पर संसाधनों	<चेक बॉक्स >
9.3	मिशन अंत्योदय सर्वे में पाए गए अंतरालों और प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा	<चेक बॉक्स >
9.4	ग्राम सभा द्वारा पारित अंतिम जीपीडीपी पर प्रस्ताव / संकल्प	<चेक बॉक्स >
	<अन्य.>	<चेक बॉक्स >
10	प्रगति पर ग्राम सभा की जियोटैग तस्वीर पर कार्य प्रगति पर	<अपलोड >
11	लोक सूचना बोर्ड की जियोटैग तस्वीर	<अपलोड >
12	चल रही ग्राम सभा का वीडियो (वैकल्पिक)	<अपलोड >

<u>जीपीडीपी के लिए विशेष ग्रामसभा संचालन हेतु मॉडल समय सारिणी</u>

<u>सबकी योजना सबका विकास</u>

बैठक की तिथि:	.....
बैठक स्थल:	.....

ग्राम पंचायत: ..... **एलजीडी कोड:** .....

ब्लॉक /तालुका: ..... **जिला:** ..... **राज्य:** .....

- **बैठक का एजेंडा : जन योजना अभियान (जीपीडीपी)**
- **बैठक के लिए सदस्यों, निर्वाचित पगतिनिधियों और कर्मियों की उपस्थिति**
- **ग्राम सभा संचालित करने का प्रारूप**

i. ग्राम पंचायत के सरपंच प्रधान ग्राम सभा /की बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी देंगे।

ii. ग्राम पंचायत सचिव जीपीडीपी के दृष्टिकोण विजन /के बारे में चर्चा करेंगे।

iii. सुविधा प्रदाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के तहत एकत्रित रैंकिंग पैरामीटर और डेटा की प्रस्तुति और सत्यापन।

iv. ग्राम सभा से पहले गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी में कमी की योजनाओं के बारे में स्वयं सहायता समूह गांव संगठन एक प्रस्तुति /देंगे।

v. ग्राम सभा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण से उभरे अंतरालों और तीन वर्गों में प्राथमिकताओं को तीन श्रेणियों **गंभीर रूप से महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता और वांछनीय** में वर्गीकृत करने के लिए चर्चा । **(पंचायत सचिव द्वारा)**

vi. संबंधित विभागों से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अनुसार अनुसूची XI में सूचीबद्ध 29 विषय जो पंचायतों को सौंपें जाने हैं पर प्रस्तुति ।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अनुसार अनुसूची XI में सूचीबद्ध 29 विषय

1. कृषि	11. पीने का पानी /पेयजल	21. सांस्कृतिक गतिविधियां
2. भूमि सुधार	12. ईंधन और चारा	22. बाजार और मेले
3. लघु सिंचाई	13. सड़कें	23. स्वास्थ्य और स्वच्छता
4. पशुपालन	14. ग्रामीण विद्युतीकरण	24. परिवार कल्याण
5. मत्स्य पालन	15. गैर परंपरागत ऊर्जा	25. महिला एवं बाल विकास
6. सामाजिक वानिकी	16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	26. सामाजिक कल्याण
7. लघु वनोपज	17. शिक्षा	27. कमजोर वर्गों का कल्याण
8.लघु उद्योग	18. व्यावसायिक शिक्षा	28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
9. खादी, गांव और कुटीर उद्योग	19. वयस्क और गैर औपचारिक शिक्षा	29. सामुदायिक परिसंपत्ति का रखरखाव
10. ग्रामीण आवासन	20. पुस्तकालय	

vii. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और निधि उपयोग की समीक्षा।

viii. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।

ix. ग्राम सभा अंतराल के कारणों पर चर्चा कर सकती है, और हस्तक्षेप का प्रस्ताव दे सकती है।

x. पहचान किए गए अंतरालों के आधार पर, जीपीडीपी में गतिविधियों को शामिल करने के लिए ग्राम सभा, संपत्ति अर्जन, संपत्ति रखरखाव, कम लागत / कोई लागत नहीं (उदाहरण के लिए 100% टीकाकरण के लिए सामुदायिक आंदोलन, स्कूल छोड़ने, ओडीएफ / ओडीएफ प्लस, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक मुद्दों आदि पर जागरूकता) जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दे सकती है।

xi. ग्राम पंचायत जीपीडीपी के तहत गतिविधियों को शामिल करने को अंतिम रूप देगी।

xii. जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवेज प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान से जल भराव की निकासी, सामुदायिक संपत्तियों, सड़कों, फुटपाथ, पथ-प्रकाश व्यवस्था, कब्रिस्तावन और श्मशान भूमि आदि का रखरखाव सहित बुनियादी नागरिक सेवाओं के वितरण से संबंधित गतिविधियों पर केवल एफएफसी आवंटन से योजना बनाई जाएगी।

xiii. ग्राम सभा विकास गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। संकल्प/ प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए।

xiv. जन योजना अभियान पोर्टल पर ग्राम सभा के जि-टैग किए गए फोटो अपलोड किए जाएंगे।

xv. लोक सूचना पट्ट के जियोटैग की गई तस्वीर- जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

अनुबंध-VII

<u>ग्रामसभा के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं/ संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुति की मॉडल संरचना</u>

विभाग के एक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुति के लिए संकेतक चर्चा बिंदु:

1. संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी उस विभाग से संबंधित योजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेंगे जिसमें योजना के तहत अर्जित पात्रता मानदंड, हकदारिता और लाभ शामिल हैंग्राम पंचायत की भूमिका और जीपीड :ीपी में निगमन का संकेत।

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना के तहत अनुमेय गतिविधियां	लाभार्थी चयन के लिए योग्यता मानदंड	योजना के लाभ हकदारिता /

2. वर्तमान वित्त वर्ष (2018-2019) में की गई गतिविधियां और समय सीमा के साथ अब तक की प्रगति।

कम संख्या	गतिविधि का नाम	लाभार्थियों की सूची	गतिविधि वार स्थिति रिपोर्ट						
			प्रगति की स्थिति			समय सीमा		उपयोग की गई निधि की स्थिति	
			पूरी की गई गतिविधि	प्रगति पर	शुरू नहीं हुई	योजनाबद्ध समय सीमा	वास्तविक समय सीमा	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि

3. अगले वित्त वर्ष (2019-2020) में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां

क्रम संख्या	चल रही गतिविधियों को जारी रखना	नई गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए	प्रस्तावित कार्य योजना

4. इस जानकारी की प्रतिलिपि ग्राम सभा के दौरान संबंधित विभागों के अंग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता द्वारा पंचायत सचिव को सौंपी जानी है।

अनुबंध –VIII

ग्राम संगठनों / स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए गरीबी उन्मूबलन योजना की प्रस्तुति का प्रारूप

(सभी सदस्यों के परामर्श से प्राथमिक स्तर एसएचजी फेडरेशन / एसएचजी द्वारा तैयार करने और ग्राम सभा में प्रस्तुत करने के लिए)

1. मूल सूचना :

i. जिले का नाम :
ii. ब्लॉक का नाम :
iii. ग्राम पंचायत(जीपी) का नाम / ग्राम परिषद(वीसी)
iv. नाम/वार्ड संख्या (पंचायत का चुनाव क्षेत्र):
v. गांव की बस्ती का नाम :
vi. प्राथमिक स्तर के एसएचजी फेडरेशन का नाम (पीएलएफ):
vii. प्राथमिक स्तर के फेडरेशन में एसएचजी की संख्या:
viii. सीएलएफ/ एसएलएफ में ग्राम संगठनों (वीओ) / पीएलएफ की संख्या
ix. सीएफ/ एसएलएफ में ग्राम संगठनों (वीओ) / पीएलएफ पदाधिकारियों का संपर्क संख्या :

2. एसएचजी समूहों की वर्तमान स्थिति एवं वर्ष 2019-20 के लिए योजना

	वर्तमान स्थिति	संख्या		वर्ष के लिए योजना 20-2019	संख्या
क	वीओपीएलएफ के कार्यक्षेत्र में / एचएच की संख्या		च	एसएचजी के अंतर्गत लाए जाने वाल एचएच की संख्या	
ख	एसएसजी में कवर एचएच की संख्या		छ	एसएचजी की कुल संख्या जिन्हें आरएफ प्रदान की जाएगी	
ग	मौजूदा कुल एसएचजी की संख्या		ज	एसएचजी की कुल संख्या जो बैंक से कर्ज लेंगे	
घ	आरएफ प्राप्त कुल एसएचजी की संख्या				
ड.	कर्ज तक पहुंच वाले एसएचजी				

3. अधिकारिता योजना:

अधिकारिता का प्रकार	लाभ चाहने वाले पात्र सदस्यों के नाम	एसएचजी का नाम (तभी लागू होगा जब सदस्य एसएचजी में हो)
क. वृद्धावस्था पैंशन		
ख. विधवा पैंशन		
ग. दिव्यांग पैंशन		

घ. अन्यय पैंशन		
ड. मनरेगा जॉब कार्ड		
च. आधार कार्ड		
छ. उज्ज्वला (पीएमयूवाई)		

4. आजीविका योजना :

इस प्रकार की गतिविधि के तहत आजीविका गतिविधियों को, कृपया स्पष्ट रूप से इंगित करें जैसे :1. भूमि विकास 2. कृषि, 3. बागवानी 4. पशुपालन डेयरी), बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट, बतख पालन आदि (5. मत्स्य पालन 6. वानिकी, 7. हस्तशिल्प 8. लघु सिंचाई 9. कुटीर उद्योग 10. लघु उद्योग आदि और जिस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हो जैसे कि उर्वरक, बीज, इनपुट, उपकरण / उपकरण बाजार सुविधा, बोर वेल, कूलिंग प्लांट्स, गोदामों, सुखाने के प्लेटफॉर्म, मछली पकड़ने के जाल, सीएससी, पौधे आदि।

क्र .सं.	एसएचजी सदस्य का नाम	एसएचजी का नाम	गतिविधि का प्रकार	व्यक्तिगत/समूह गतिविधि	किस प्रकार के सर्मथन की आवश्यकता है

5. व्यक्तिगत संरचनात्मक योजना:

क्र .सं .	कार्य का नाम	विवरण	एसएचजी सदस्य का नाम	एसएचजी का नाम
1	पशुशाला			
2	कुक्कुटशेड (बाड़ा)			
3	एनएडीईपी पिट			
4	व्यक्तिगत शौचालय			
5	बिजली			

6. सार्वजनिक वस्तु एवं सेवा योजना:

क्र. सं.	कार्य का नाम	विवरण	क्र. सं.	संस्थान का नाम	किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है
i.	सड़क निर्माण		xv.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	
ii.	पेयजल की सुविधा		xvi.	एडब्ल्यूसी	
iii.	सिंचाई हेतु नहर का निर्माण		xvii.	स्वास्थ्य -टीकाकरण , दवा, सांगठनिक वितरण सुविधा, कृमि निवारण , मच्छर दानी आदि ,	
iv.	स्कूल (पंजीकरण, शिक्षक, मीड डे मिल, वर्दी, किताब आदि)		xviii.	पशु चिकित्सा सेवा (टीकाकरण और कृमि निवारण)	
v.	मार्केट शेड/ विपणन सुविधा				
vi.	सामुदायिक शौचालय				
vii.	सामुदायिक कार्य शेड				
viii.	जल निकासी				
ix.	सीवर				
x.	पथ प्रकाश				
xi.	सामुदायिक भवन / परिसंपत्ति				
xii.	बिजली				
xiii.	परिवहन सुविधा				
xiv.	स्कूल/ एडब्ल्यूसी भवन				

नोट: ऊपर वर्णित गतिविधियां सांकेतिक हैं और सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं हो सकती हैं। स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्थानीय स्तर पर गतिविधियों की पहचान की जानी चाहिए और ग्राम सभा में पेश करने से पहले प्राथमिकता को अपने स्तर पर भी तय किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्तर परिसंघ (वीओ) को ग्राम सभा से पहले सभी एसएचजी सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से अपने सभी सदस्य परिवारों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक के दौरान संबंधित एसएचजी संघों को इस गरीबी उन्मूरलन योजना को प्रस्तुत करना चाहिए और ग्राम सभा में प्रत्येक गतिविधि की प्राथमिकता के बाद जीपीडीपी में इसे शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए।

अनुबंध-IX (क)

सार्वजनिक सूचना पट्ट (बोर्ड) का व्याख्यात्मक प्रारूप (इलेस्ट्रिटिव)

10 ft.

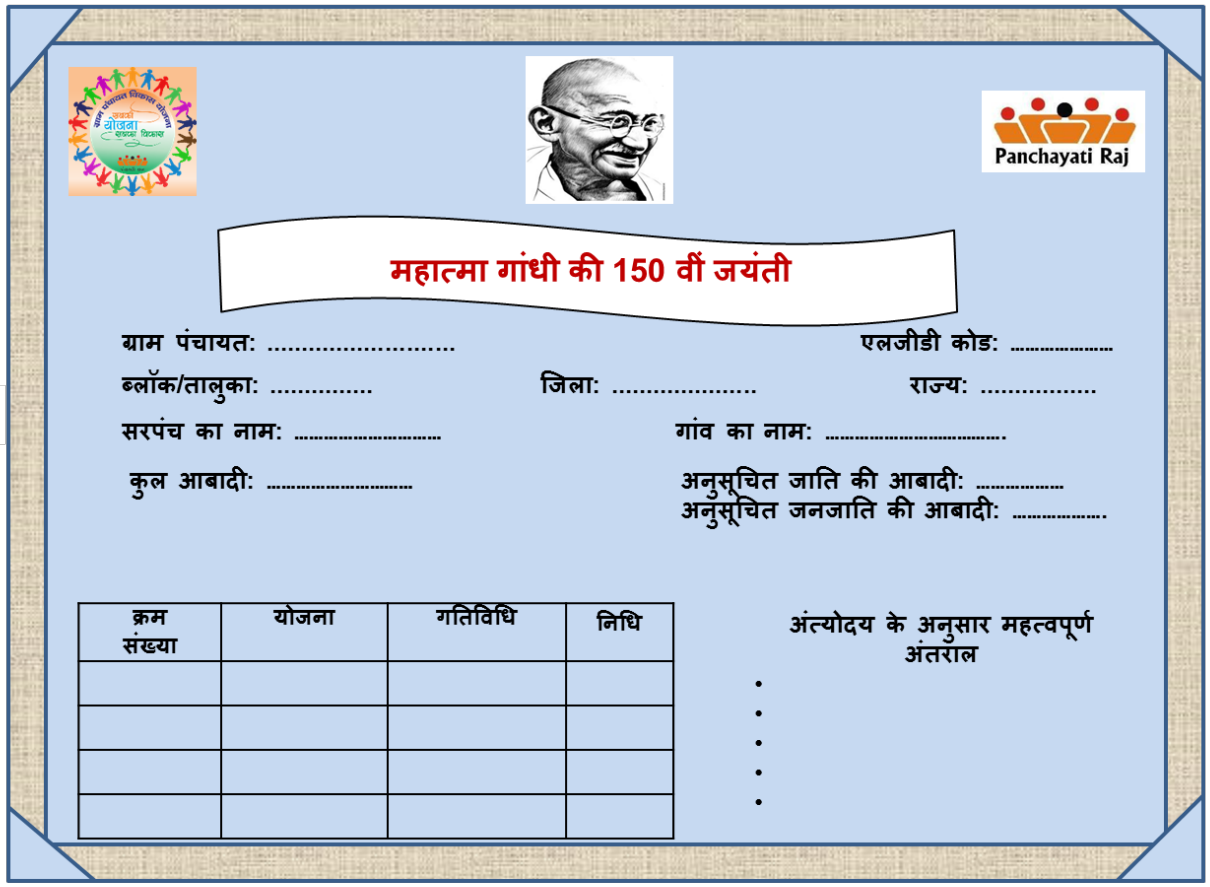

20 ft.

अनुबंध-IX (ख)

जन सूचना पट्ट (बोर्ड) की इलस्ट्रेटिव लागत अनुमान

जन सूचना पट्ट (बोर्ड) की इलस्ट्रेटिव लागत अनुमान									
क्रम संख्या	विवरण	संख्या	लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई	मात्रा	इकाई	दर	रा शि
1	एचएसआर के अनुसार सभी प्रकार की मिट्टी में नींव की खुदाई का काम	7	1.250	1.250	1.500	16.41	घन मीटर	58.17	954.35
2	प्लींथ और नींव में सीमेंट कंक्रीट 1:8:16	7	1.250	1.250	0.150	1.64	घन मीटर	1650.00	2707.03
3	नींव में सीमेंट कंक्रीट वाले आरसीसी कार्य 1:1.5:3	7	0.900	0.900	0.230	1.30	घन मीटर		
		7	0.380	0.380	2.020	2.04	घन मीटर		
	कुल					3.35	घन मीटर	4257.00	14243.56
	मजबूती और जमाव 80 किग्रा प्रति घन मीटर					267.67	किलोग्राम	60.00	16060.40
4	12 एमएम व्यास के एंकर बोल्ट का जमाव	28				28.00	संख्या	150.00	4200.00
5	डिसप्ले बोर्ड का एमएस फ्रैब्रिकेशन								
	बैक टु बैक @.48किग्रा/एमटी आईएसए 50X50X5		39.580			19.00			
	बैक टु बैंक @.575 किग्रा/एमटी आईएसए 60X60X5		46.120			26.52			
	बैक टु बैक @.575 किग्रा/एमटी आईएसए 60X60X5		25.020			14.39			
	शीट16 गेज 20 एसएफटी					23.00			
	बेस प्लेट					15.00			
	कुल1					97.90	Kg	60.00	5874.23
6	प्राइमिंग कोट पर दो कोट का लेखन पेंटिंग	1				20.00	sft	50.00	1000.00
	कुल योग								45039.58
	कुल शुल्क में 10 % वृद्धि जोड़े								4503.96

	कुल								**49543.54**
	2% आकस्मिक शुल्क जोड़ें								**990.87**
	10% ठेकेदार का लाभ जोड़ें								**4954.35**
	कुल योग								**55488.76**
						रुपए लगभग		**55500.00**	

अनुबंध -X

ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी) पर स्नैपशॉट

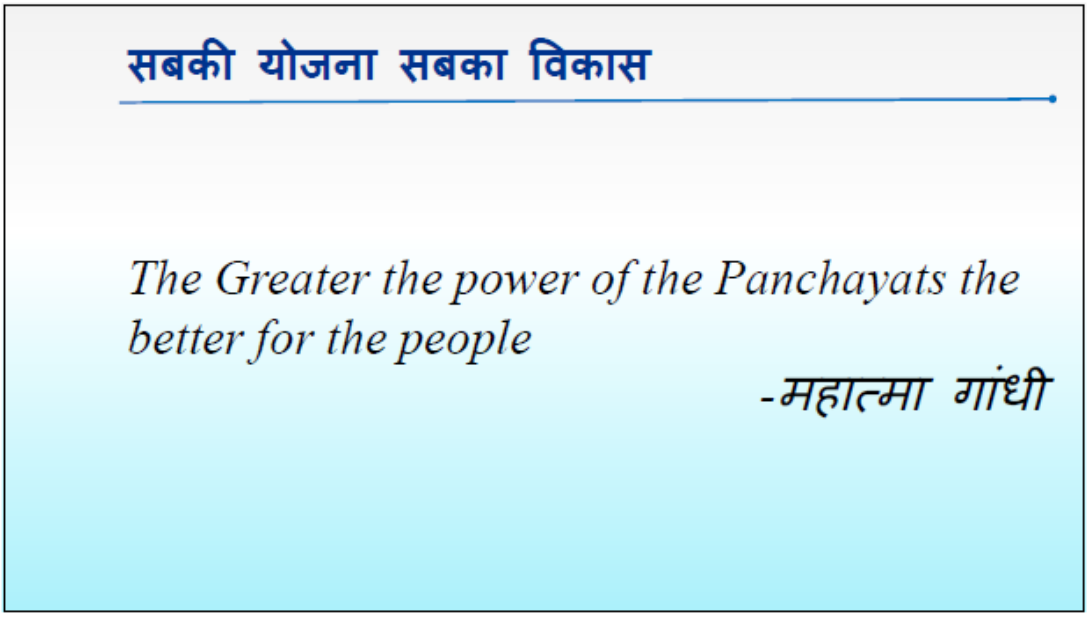

कार्य सूची/एजेंडा

1. जीपीडीपी के कार्यान्वयन का मुद्दा
2. आयोजना और डाटा के अतिरिक्त स्रोत के लिए बेस
3. 29 सेक्टमरों, 14 वें वित्तं आयोग के साथ एम ए मापदंडों का मानचित्रण
4. अंतराल की पहचान
5. मुख्य क्षेत्रों की पहचान
6. आगे का रास्ता/ कार्यान्वसयन

जीपीडीपी के कार्यान्वयन के मुद्दे

- जीपीडीपी के लिए जागरूकता सृजन और सहभागितापूर्ण आयोजना की कमी
- वित्तीय संसाधन एनवेलप के लिए कोई चिंता नहीं
- जीपीडीपी तैयारी के लिए ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता की कमी
- जीपीडीपी और वास्तव में शुरू किए गए कार्यों के बीच कोई संबंध नहीं है
- कृषि, डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पशुपालन, कौशल विकास इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की कम भागीदारी।
- विभाग अलग-अलग (एक साथ नहीं) कार्य कर रहे हैं
- ब्लॉक /जिला /राज्य स्तर पर जीपीडीपी की समीक्षा नहीं होती
- जीपीडीपी अपलोड नहीं किया गया या आंशिक रूप से अपलोड किया गया

जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया

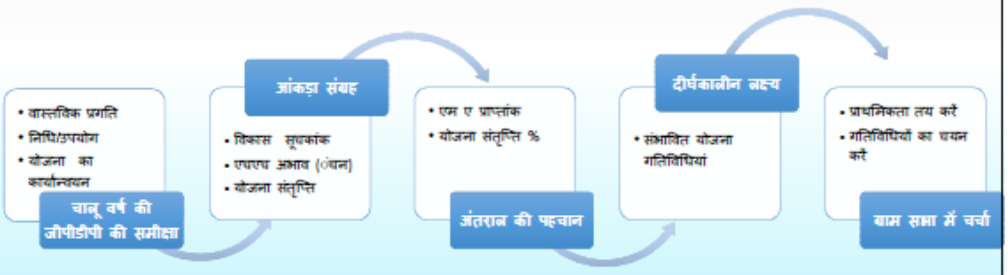

समीक्षा/ चालू वार्षिक योजना का आंकलन

- गतिविधिवार स्थिति रिपोर्ट
  - ➢ पूर्ण /काम चल रहा है /शुरू नहीं किया गया
- आवंटित निधि बनाम उपयोग की गई निधि
- नियोजित समय सीमा बनाम वास्तविक समय सीमा
- ग्राम सभा में पूरे किए गए कार्यों/ गतिविधियों का सत्य पान
- गतिविधियों की पहचान करना
  - ➢ अगले वर्ष में जारी/स्थारनांतरित की जाने वाली
  - ➢ रोकी जाने वाली /बंद की जाने वाली

आयोजना के लिए डाटा इनपुट

- मिशन अंत्योदय का पहला चरण पूरा ही किया जा चुका है और 44111 ग्राम पंचायतों के लिए आंकड़ा एकत्रित किया गया है
- एसईसीसी 2011 आंकड़ा पहले से ही उपलब्ध है जिसे फिर एलजीडी निर्देशिका के साथ मानचित्रण किया गया है
- योजना का कार्यान्वयन
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के आंकड़ों को पहले दर्ज किया जाएगा
  - संबंधित अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य योजना डेटा की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम सभा में सत्यापन के बाद, प्लानप्लस पर अपलोड किया जा सकता है
- ग्राम पंचायत की दीर्घ कालीन (संभावित) योजना
- बजट आवंटन (एफएफसी, एसएफसी, योजना बजट)
- स्वयं के स्रोत

जीपीडीपी के बेसडाटा

	एम ए विकास मापदंड	एसईसीसी डाटा	अतिरिक्ता/डाटा का स्रोत
1.	बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास और आजीविका स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन	सामाजिक आर्थिक मानक जैसे आवास /निवास रोजगार, आय, संपत्ति, कृषि, भूमि संबंधित	एमओआरडी और अन्य मंत्रालय की योजनाएं जैसे कि जीएसए, पीएमएवाई-जी,पीएमयूवाई, डीडीयूआईवाई, उजाला, आईसीडीएस और कई अन्य

जीपीडीपी: गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए विषय

कार्य बिन्दु

- बाकी बची ग्राम पंचायतों के मिशन अंत्योदय डेटा का संग्रह
- जन योजना अभियान के दौरान विशेष ग्राम सभा में मिशन अंत्योदय डेटा को सत्यापित किया जाएगा

XI अनुसूची के 29 विषयों के साथ मिशन अंत्योदय के मापदंडों का मानचित्रण (1/4)

एफएफसी में XI अनुसूची के 29 क्षेत्र		मिशन अंत्योदय विकास मापदंड		ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना	अन्य मंत्रालयों की योजना
1	कृषि	विशेष रूप से शामिल परिवारों का %	10		आरकेवीवाई
		क. खेती कार्य			ई- एनएएम
		ख. गैर- खेती कार्य			पीएमएफबीवाई
		सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	35		एनएफएसएम
					डीडीयूजीजेवाई
					पीकेवीवाई
2	भूमि सुधार	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)			एसएचसी
		कुल बुआई क्षेत्र (हेक्टेयर में)			डीएलआरएमपी
		कुल असिंचित भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)			
		सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)			
		मिट्टी परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	34		
		उर्वरक की दुकान की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	36		
3	पशुपालन	गांव आधारित पशुधन विस्तारित श्रमिकों द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या	47		
4	ग्रामीण आवासन	कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या	25	पीएमएवाई -जी	
		कच्ची दीवार – 1 फूस /खपरैल /बांस आदि			
		2 प्लास्टिक / पॉलीथिन			
		3 मिट्टी/ कच्ची ईंट			
		4 लकड़ी			
		5 गारे के बिना पत्थरों से बनी दीवारें			
		कच्ची छत्त – 1 फूस /खपरैल /बांस /लकड़ी /मिट्टी आदि			
		2 प्लास्टिक / पॉलीथिन			
		3 हाथ से बने खपड़े			
5	पेयजल	शहरी नल से पेयजल की उपलब्धता	22		NRDWP
		(1) 100% बस्तियों को कवर किया गया (2) 50 से 100% बस्तियों को कवर किया गया (3) <50% बस्तियों को कवर किया गया (4) केवल एक बस्ती को कवर किया गया है (5) कवर नहीं किया			

Critical | High | Medium

XI अनुसूची के 29 विषयों के साथ मिशन अंत्योदय के मापदंडों का मानचित्रण (2/4)

एफएफसी ग्यारहवीं अनुसूची में 29 क्षेत्र		मिशन अंत्योदय विकास मापदंड		ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना	अन्य मंत्रालयों की योजना
6	सड़क	क्या गांव बारहमासी मौसमी सड़क से जुड़ा है (हां-1;नहीं2)	15	मनरेगा	
		क्या गांव में एक आंतरिक सीसी / ईंट की सड़क है	16	पीएमजीएसवाई या आरसी	
		सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता (बस -1; वैन -2; ऑटो -3; कोई नहीं -4)	17	एसएजीवाई	पीएमएजीवाई
			17		
7	ग्रामीण विद्युतीकरण	घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता (1-4 घंटे -1; 5-8 घंटे -2; 9-12 घंटे -3;> 12 घंटे -4; कोई बिजली नहीं -5)	19	जीएसए	उजाला
					आईपीडीएस
					डीडीयूजीजेवाई
				जीएसए	सौभाग्य
8	गैर पारंपरिक ऊर्जा	स्वच्छ ऊर्जा (एलपीजी / बायो गैस) का उपयोग करने वाले परिवारों की कुल संख्या	24		
9	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	एसएचजी में संघटित परिवारों की संख्या	44	डीएवाई- एनआरएलएम/ एनआरएलएम	एमकेएसपी
		उत्पादक समूह (पीजी) में संघटित परिवारों की संख्या	45		
		गांव आधारित कृषि द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या विस्तार श्रमिक	46		
		बैंक ऋण का उपयोग करने वाले एसएचजी की संख्या	48		
		[illegible] एसएचजी की कुल संख्या			
10	शिक्षा	स्कूल की उपलब्धता (प्राथमिक -1; मिडिल स्कूल -2; हाई स्कूल -3; वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय -4; कोई स्कूल -5)	27		आईसीडीएस / एसएसए
11	व्यावसायिक शिक्षा	व्यावसायिक शैक्षिक केंद्र / आईटीआई / आरएसईटीआई / डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धता (हां -1, नहीं -2)	28	डीडीयू-जीकेवाई	पीएमकेवीवाई
12	बाजार एवं मेले	बाजारों की उपलब्धता (मंडी -1; नियमित बाजार -2; साप्ताहिक हाट -3; कोई नहीं -4)	21		
13	क्या गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) है (हां -1; नहीं -2)	उप केंद्र / पीएचसी / सीएचसी की उपलब्धता (पीएचसी -1; सीएचसी -2; उप केंद्र -3, कोई नहीं = 4)	29	स्वच्छ भारत मिशन	एनआरएचएम/एनएचएम
		यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड जहां सुविधा उपलब्ध है; (<5 किमी -1; 5-10 किमी 2; > 10 किमी -3)	30	जीएसए	एनआरडीडब्ल्यूपी / मिशन इंद्रधनुष / आईसीडीएस
		पशु चिकित्सा क्लिनिक अस्पताल की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	31		
		यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड जहां सुविधा उपलब्ध है; (<5 किमी -1; 5-10 किमी 2; > 10 किमी -3)	32		
		जल निकासी सुविधाओं की उपलब्धता (बंद जल निकासी -1; खुली पक्का जल निकासी टाइल्स स्लैब के साथ कवर -2; खुली पक्का बगैर कवर जल निकासी -3; खुली कच्चा जल निकासी -4; कोई जल निकासी -5)	33		
		जल निकासी सुविधाओं की उपलब्धता (बंद जल निकासी -1; खुली पक्का जल निकासी टाइल्स स्लैब के साथ कवर -2; खुली पक्का बगैर कवर जल निकासी -3; खुली कच्चा जल निकासी -4; कोई जल निकासी -5)			
		सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली (हां -1; नहीं -2)	37		
		सामुदायिक जैव गैस या उत्पादन के उपयोग के लिए अपशिष्ट का रिसायक्लिंग (हां-1; नहीं -2)	38		

Critical High Medium

XI अनुसूची के 29 विषयों के साथ मिशन अंत्योदय के मापदंडों का मानचित्रण (3/4)

एफएफसी ग्यारहवीं अनुसूची में 29		मिशन अंत्योदय विकास मापदंड		ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना	अन्य मंत्रालयों की योजना
14	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	40	जीएसए	मिशन इंद्रधनुष
		0-3 साल के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या	41		एमडीएमएस
		0-3 साल के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या जिनका पंजीकरण आंगनवाड़ी में किया गया हो।	42		बीबीबीपी
		0-3 साल की उम्र के बच्चों में की संख्या जिनका टीकाकरण किया गया हो			आईसीडीएस
		आईसीडीएस रिकॉर्ड के अनुसार गैर-स्टंट के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए बच्चों की संख्या	43		
15	सामाजिक कल्याण	बैंकों की उपलब्धता (हां=1, नहीं=2)	11	एसएजीवाई	एनआरडब्ल्यूपी
		यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड दी गई है जहां सुविधा उपलब्ध है; (<3किमी-1; 3-5 किमी - 2; 5-10 किमी -3, >10 किमी -4)	12	एनयूएलएम	पीएमकेकेकेवाई
		यदि गांव में बैंक उपलब्ध नहीं तो क्या; बैंक / व्यापार संवाददाता (बिजनेस करस्पॉन्डेंट) की उपलब्धता इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है?	13		पीएमएजीवाई
		एटीएम की उपलब्धता (हां-1;नहीं-2)	14		
		डाकघर / उप-डाकघर की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	26		
		टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता (लैंडलाइन -1; मोबाइल -2; दोनों-3; कोई भी नहीं -4)	23		
		इंटरनेट कैफे / सामान्य सेवा केंद्र की उपलब्धता (हां -1; संख्या -2)	18		
16	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	20		

Critical High Medium

XI अनुसूची के 29 विषयों के साथ मिशन अंत्योदय के मापदंडों का मानचित्रण (4/4)

	एफएफसी ग्यारहवीं अनुसूची में 29 क्षेत्र	मिशन अंत्योदय विकास मापदंड		ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना	अन्य मंत्रालयों की योजना
17	भौतिक परिसंपत्तियों का रखरखाव				
18	परिवार कल्याण			जीएसए	पीएमयूवाई
				जीएसए	पीएमजेडीवाई
					पीएमकेकेवाई
				जीएसए	उजाला
					एनआरडीडब्ल्यूपी
19	कमजोर वर्गों का कल्याण			एनएसएपी	
				जीएसए	पीएमएसबीवाई
				जीएसए	पीएमजेजेबीवाई
20	लघु सिंचाई			एचकेकेपी	
				पीएमकेएसवाई / आईडब्ल्यूएमपी	
21	मत्स्य पालन				
22	सामाजिक वानिकी				
23	लघु उत्पाद				
24	लघु उद्योग				पीएमईजीपी
25	खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग				पीएमईजीपी
26	ईंधन एवं पशु चारा				
27	प्रौढ़ एवं गैर- औपचारिक शिक्षा				
28	पुस्तकालय				
29	सांस्कृतिक गतिविधियां				

Critical | High | Medium

अंतराल की पहचान एवं ग्राम सभा में चर्चा

- उपलब्ध इनपुट के आधार पर प्लानप्लस में अंतरालों की रिपोर्ट की जा सकती है
  - विकास संकेत - अंत्योदय मिशन के मापदंड के तहत पंचायत का लक्ष्य 75 या उससे अधिक प्राप्त करने का होना चाहिए
  - योजना कार्यान्वयन - योजना कार्यान्वयन लक्ष्य 100% संतृप्ति होना चाहिए
- ग्राम सभा द्वारा सत्यापित अंतराल के लिए, यह अंतराल और प्रस्तावित हस्तक्षेप के कारणों की पहचान कर सकता है
- ग्राम सभा प्रस्तावित हस्तक्षेप के साथ-साथ 29 क्षेत्रों में से किसी में भी अतिरिक्त समस्याएं/ अंतराल को दर्ज कर सकती है
- पहचाने गए अंतराल को गंभीर, मध्यम और लघु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

प्रमुख क्षेत्र/ गतिविधि

प्रमुख क्षेत्र	पहचानी गई गतिविधियां	वित्तपोषण योजना				
		निधि का वितरण	14 वां वित्त आयोग	राज्य बजट	स्वयं के स्रोत	अन्य
सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव	शून्य	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
परिवार कल्याण	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
कमजोर वर्गों का कल्याण	2	निधि का प्रावधान किया गया	*78,321*	*12,349*	*8,745*	*शून्य*
		व्यय किया गया				
लघु सिंचाई	3	निधि का प्रावधान किया गया	*12,786*	*9,899*	*6,785*	*7,787*
		व्यय किया गया				
मत्स्य पालन	1	निधि का प्रावधान किया गया	*78,321*	*12,349*	*8,745*	*शून्य*
		व्यय किया गया				
सामाजिक वानिकी	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
लघु वनोपज	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
लघु उद्योग	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
खादी,ग्रांड एवं कुटीर उद्योग	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
ईंधन चारा	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
पौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
पुस्तकालय	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				
सांस्कृतिक गतिविधि	Nil	निधि का प्रावधान किया गया				
		व्यय किया गया				

योजना बनाना

- पहचाने गए अंतराल के लिए, परियोजनाओं/गतिविधियों की योजना बनाई गई है। परियोजना /गतिविधि का आउटपुट है-
  - परिसंपत्ति निर्माण
  - परिसंपत्ति का रखरखाव
  - योजनाओं को इनपुट उपलब्धए कराना (राज्यए एवं केन्द्रीय)
  - सामुदायिक संघटन (गैर लागत गतिविधियां) के लिए
    - सामाजिक सौहार्द
    - सामाजिक और योजना संबंधी मुद्दों आदि पर जागरुकता पैदा करना
- बुनियादी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सड़कों का रखरखाव, फुटपाथ, पथ-प्रकाश, कब्रिस्तान और श्मशान भूमि आदि सहित आवश्यक नागरिक सेवाओं के वितरण से संबंधित गतिविधियां। केवल एफएफसी आवंटन के अनुसार योजना बनाई जाएगी।
- दीर्घकालीन परियोजनाओं में विभिन्न वार्षिक योजनाओं की कई गतिविधियां हो सकती हैं

योजना बनाने के मुख्य दिशानिर्देश

- विकास के लिए पहचाने जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र और महत्वपूर्ण अंतर को लक्षित करने की आयोजना की प्रक्रिया
- प्रक्रिया पहचान अंतराल/समस्याओं के लिए हस्तक्षेप की संरचना के साथ शुरू होगी जो उन्हें मापनीय इकाइयों में परिवर्तित करेगी
- लागत आधारित गतिविधियों को केवल धन की उपलब्धता के अनुसार ही योजनाबद्ध किया जाना चाहिए
- वित्तपोषण की गतिविधि को कई योजनाओं द्वारा साझा किया जा सकता है

ग्राम पंचायत योजना प्रकाशन

- एक बार योजना के लिए डेटा प्रविष्टि पूरी हो जाने और योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो अंतिम योजना का पीडीएफ प्रारूप प्लानप्लस पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है
- योजना की हार्ड कॉपी सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जाएगी
- कार्यान्वयन वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर जीपीडीपी की संपत्ति निर्माण गतिविधियां प्रकाशित की जाती है।

चुनौतियां

- प्रक्रिया अनेक स्रोतों से प्राप्त डेटा पर बहुत अधिक निर्भर है।
- ग्राम पंचायत के लिए मिशन अंत्योदय डेटा संग्रह करने में किसी तरह की देरी जीपीडीपी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है।
- अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के लिए केन्द्रीकृत डाटा प्राप्त करना स्थानीय निर्देशिका के साथ मेल न खाने के कारण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार अन्य योजनाओं के लिए डेटा संग्रह ब्लॉक /ग्राम पंचायत में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा

अभियान के लिए गतिविधियों का कैलेंडर

#	गतिविधियां	समय सीमा
1	सुविधा प्रदाता का प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत	30अगस्त, 2018
2	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति(राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर) और सभी नोडल अधिकारियों द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण	10 सितंबर , 2018
3	ग्राम सभा बैठक के कार्यक्रम को अपलोड करना	10 सितंबर, 2018
4	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधा प्रदाता की नियुक्ति	10 सितंबर , 2018
5	सुविधा प्रदाताओं का प्रशिक्षण की समाप्ति	15 सितंबर , 2018
6	ग्राम की बैठकों के लिए संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति	15th सितंबर, 2018
7	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना पट्ट (बोर्ड) का प्रदर्शन और पोर्टल पर इसकी जियोटैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना	15सितंबर, 2018
8	ग्राम सभा की बैठकों के जियोटैग किए गए विजुअल अपलोड करना	ग्राम सभा के संचालन के तुरंत बाद
9	प्लानप्लस अनुप्रयोग पर अनुमोदित योजना का प्रकाशन	31दिसंबर, 2018

सार्वजनिक सूचना पट्ट (बोर्ड)

Formats

- ग्राम सभा की कार्यसूची — Gram Sabha Meeting Agenda
- ग्रामसभा के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं/ संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुति की मॉडल संरचना — Presentation Format
- ग्राम संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना की प्रस्तुति का प्रारूप — Poverty leduction Templat
- सुविधा प्रदाता की रिपोर्ट — Facilitator Report

अनुबंध – XI

ग्राम पंचायत विकाय योजना के लिए मॉडल प्रारूप

अध्याय	विवरण	अध्याय के विषय
अध्याय – 1	ग्राम पंचायत की स्थिति	1. **ग्राम पंचायत का फ्रोफाइल – मूल सूचना** जनसांख्यिकीय सूचना, सामाजिक-आर्थिक मानक, आजीविका डेटा, प्राकृतिक संसाधन, ग्राम संस्थान आदि, निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण **2.** स्थायी समितियों की सूची जीपीपीएफटी / डब्ल्यूपीएफटी / ग्राम पंचायत कार्यालय में जीपीडीपी के प्रभारी कार्यकर्ताओं के विकेंद्रीकृत योजना की तैयारी, नाम और पदनामों से संबंधित कार्यकारी समूहों की सूची, अन्य सरकारी कार्यकर्ता / सहायक कर्मचारी के नाम जो जीपीडीपी का हिस्सा हैं। **3. विजन का विवरण**
अध्याय -2	गत वर्ष पूरे किए गए कार्य और चल रहे कार्य	पिछले वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्ट
अध्याय –3	सहभागितापूर्ण आयोजना की प्रक्रिया और विकासात्मक अंतराल/ कमी	पर्यावरण सृजन, डेटा संग्रह और संकलन (प्राथमिक और माध्यमिक), स्थिति और अंतराल विश्लेषण, समस्या-स्रोत-संभावित विश्लेषण, स्थिति रिपोर्ट का विकास (डीएसआर)
अध्याय 4	एसडीजी के स्थानीयकरण सहित ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य	**कुछ उदाहरण** खुले में शौचालय मुक्त पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी घरों, में सुरक्षित पेयजल, अभाव मुक्त ग्राम पंचायत , बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत , तस्करी मुक्त ग्राम पंचायत , **100%** आंगनवाड़ी नामांकित ग्राम पंचायत , **100%** स्कूल नामांकित ग्राम पंचायत , टीकाकरण के माध्यम से **100%** बच्चे और मां को कवर किया गया ग्राम पंचायत कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत , शिशु मौत मुक्त ग्राम पंचायत

अध्याय	विवरण	अध्याय के विषय
अध्याय -5	संसाधन संचिका (एनवेलप) और गतिविधियां (योजना एवं सेक्टवेयर)	विभिन्न स्रोतों से ग्राम पंचायत को धन की उपलब्धता उदाहरण के लिए 14 वें वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण, ग्राम पंचायत के स्वयं संसाधन, एमजीएनआरईजीएस, ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित अन्य सीएसएस, राज्य योजना योजनाओं के लिए अनुदान, बाहरी रूप से समर्थित योजनाओं के लिए अनुदान, समुदायों और अन्य हितधारकों द्वारा स्वैच्छिक योगदान स्थिति और अंतराल विश्लेषण के आधार पर; गतिविधियों की पहचान की जा सकती है जैसे कि पंचायत के संभावित उपलब्ध संसाधन और केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधन।
अध्याय -6	वार्षिक योजना और संभावित योजना के साथ गतिविधियों की प्राथमिकता	गतिविधियों के विवरण के साथ पांच साल और वार्षिक योजनाओं के लिए परिप्रेक्ष्य योजना
अध्याय -7	कार्यान्वयन रणनीति	कार्यान्वयन की प्रक्रिया
अध्याय -8	निगरानी और मूल्यांकन	निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया
	अनुबंध	जनगणना, एसईसीसी और मिशन अंत्योदय से महत्वपूर्ण आधारभूत डेटा। ग्राम सभा बैठकों के कार्यवृत्त, कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की / योजना को मंजूरी देने / अनुमोदित संकल्प, फोटो